









क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



ग्राम पंचायत- यादव पट्टी

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग





प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव

श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री संजीव रंजन, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), प्रतापगढ़

डा. दिव्या मिश्रा, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), प्रतापगढ़

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ

श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक

डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री मेखला शास्त्री, सुश्री स्वाति गुप्ता, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

यादव पट्टी, ग्राम पंचायत

श्री सौरभ सिंह, ग्राम प्रधान

क्षेत्र शोध

तरुण चेतना समिति

श्री नसीम अंसारी, श्री संतोष चतुर्वेदी, सुश्री सोनिया गुप्ता

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री रोहिण कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया





श्री संजीव रंजन (आई.ए.एस.) जिलाधिकारी, प्रतापगढ जत्तर प्रदेश





-:संदेश:-

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत—यादवपट्टी विकास खण्ड कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मानका अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु के परिर्वतन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिए जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के कारण जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थ व्यवस्था आपस में जुड़े हैं और हमारे लिए ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हो।

ग्राम पंचायतो हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा जो पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर एवं तरुन चेतना समिति प्रतापगढ़ को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगी।

।। शुभकामनाओं सहित ।।

भवदीय

21-09-2024

(संजीव रंजन)



डा० दिव्या मिश्रा (आई.ए.एस.) मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ, उत्तर प्रदेश



—ःसंदेशः—

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत—यादवपट्टी विकास खण्ड कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश के तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर एवं तरुन चेतना समिति प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के प्रयासों के लिए धन्यवाद देती हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ायें।

यह कार्ययोजना ग्राम पंचायतो में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करेगी। इसके साथ ही हम सब मिलकर जलवायु नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं तथा स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बिल्क समाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करती हूँ।

।। शुभकामनाओं सहित ।।

डा० दिव्या मिश्रा



मुख्यमंत्री पुरस्कार प्राप्त आर्दश ग्राम पंचायत यादव पट्टी

सौरभ सिहं (ग्राम प्रधान)



निवासी ः यादवपट्टी कुण्डा प्रतापगढ मो0— 9455907717

पत्रांक रोगी

दिनॉक <u>18/09/202</u>4

ग्राम प्रधाान ग्राम पंचायत —यादव पट्टी वि०ख०—कुण्डा जिला— प्रतापगढ

अभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान ग्राम पंचायत यादवपट्टी वि०ख० कुण्डा जिला– प्रतापगढ़ की ओर से सादर नमस्कार और अभिनन्दन । मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे । मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये कदम प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हैं ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है । और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए उनपर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमित से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्म किया है । सर्वप्रथम आवाश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित समस्याओं और मद्दों की पहचान करना जिसके लिए सामुदायिक सहमागिता के साथ —साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और ऑकडों को एकत्रित किया गया । आंकडे एकत्रित करने की प्रक्रिया को पंचायत में कियान्वित करने के लिए मैं स्थानीय सहयोगी संस्था ग्राम्या संस्थान वाराणसी व गोरखपुर इन्वायरमेन्ट एक्शन ग्रुप (जी०ई०ए०जी) गोरखपुर का आंकडे एकत्रित करने में हमारे ग्राम वासियों के समर्थन व सिक्य भागीदारी के लिए हृदय से धन्यवाद हम सभी साथ मिलकर हमारी ग्राम पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वाताकत्रवरण बनायेगें । जो न केवल हमारे प्राकृतित संसाधनों की रक्षा करेगा । अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समस्त गुणवत्ता को भी बढायेगा ।

इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उ०प्र० और तकनीकि सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउण्डेशन, नई दिल्ली का भी अभारी हूँ । जिन्हाने एकत्र किये गये आंकडे को कार्य योजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकि सहयोग प्रदान किया ।

में सभी ग्राम वासियों से अपनी ग्राम पंचायत को क्लाईमेंट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ । आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़े और दूसरों के लिए उदाहारण स्थापित करें ।

धन्यवाद

(ग्राम प्रधान) ग्राम पंचायत यादवपट्टी वि0ख0-कृण्डा जिला-प्रतापगढ



विषय सूची

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	•	4
	•	5
	•	6
	•	6
	•	7
	•	7
		8
3	कार्बन फुटप्रिंट	9
4	व्यापक मुद्दे	10
5	प्रस्तावित सुझाव	11
	1.	12
	2.	17
	3.	21
	4.	25
	5. , ,	30
	6.7.	39
		43
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	46
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	52
8	आगे की राह	57
9	अनुलग्नक	58

चित्र

1: -		5
2:	, 1991-2019	5
3: (), 1991- 2019		5
4:		6
5:		6
6:		7
7:		7
8:		7
9: 2022		9
10: 2022		ç

कार्यकारी सारांश

प्रतापगढ़ जिले की यादव पट्टी ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। यादव पट्टी की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना, ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु संबंधी कार्यवाही को मजबूत करने और 2035 तक इसे क्लाइमेट स्मार्ट /लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट रोडमैप/ दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत लचीलापन, अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर कार्ययोजना तैयार की गई है। यादव पट्टी के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे यादव पट्टी ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

कार्ययोजना¹ प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए यादव पट्टी ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया हैं। इससे आधार बनाने और यादव पट्टी के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है, ग्राम पंचायत में 4 राजस्व गांव और 8 बस्तियां हैं। यहां 516 परिवार हैं एवं कुल आबादी $2,868^2$ है। मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। एक आधारभूत आकलन से पता चलता है कि यादव पट्टी ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट \sim 2,249 tCO $_2$ e है। 3

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण टूल तैयार करना

सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़े एकत्र करना: पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा, गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आँकड़ें एकत्र किए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण और योजना तैयार करना:

- ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और यादव पट्टी में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित हैं।
- प्रमुख मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान: यादव पट्टी में प्रमुख गतिविधियों* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया।
- प्रस्तावित गतिविधियां: चिन्हित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर यादव पट्टी के लिए गतिविधियां/संस्तुतियाँ तैयार की गईं।
 इन गतिविधियों में पूर्वी मैदानी क्षेत्र की प्रचलित विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया हैं। इसके अतिरिक्त, यादव पट्टी की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया हैं

कार्ययोजना को तैयार करने के दौरान एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

*गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल

² जनगणना 2011 के आंकड़े: कुल जनसंख्या 837

³ इसमें ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन का दायरा स्कोप 2 शामिल है (UPPCL से प्राप्त आंकड़े और CEA से ग्रिड उत्सर्जन के कारक)

यादव पट्टी ग्राम पंचायत में तत्काल कार्यवाही के लिए कुछ प्राथमिक क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- जलभराव को कम करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए सड़क और जल निकासी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- सतत कृषि पद्धितयों को अपनाना, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धितयां और जलवायु प्रितरोधी फसलें उगाना (गेहूं और धान की सूखा सहनशील किस्में, सूखा प्रितरोधी फसलें जैसे बाजरा आदि) शामिल हैं।
- जल निकायों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के माध्यम से स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करना, साथ ही वर्षा जल संचयन और अन्य जल पुनर्भरण विधियों को बढावा देना।
- नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता समाधानों का उपयोग करना, जैसे कि सोलर रूफटॉप स्थापित करना, सौर-संचालित पंप, तथा घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में ऊर्जा कुशल फिक्चर्स आदि।

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केंद्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरकर सामने आने वाले मुद्दों, और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, अनुशंसाएं प्रस्तावित की गई हैं। अनुशंसाओं में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हिरत स्थानों को बढ़ाने, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, उन्नत गतिशीलता, और आजीविका और हिरत उद्यमिता के विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

इन अनुशंसाओं के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है - पहला चरण (2024-2027), दूसरा चरण (2027-2030) और तीसरा चरण (2030-2035)। चरणबद्ध-वार लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार आगे वार्षिक लक्ष्यों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध-वार लक्ष्य, संभावित लागत, और केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

यादव पट्टी के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसे यादव पट्टी ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ आसानी से और प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके।

सीएसजीपीएपी निम्नलिखित द्वारा यादव पट्टी की जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगा:

- जलवायु परिपेक्ष्यप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।


इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को यादव पट्टी जीपीडीपी की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से कम की गई कुल उत्सर्जन मात्रा प्रति वर्ष ~2,591 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO₂e) होने का अनुमान है, तथा अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 72,800 tCO₂ तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹23 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है। इसमें से, आवश्यक वित्तपोषण का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹7 करोड़) केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं/ मिशनों/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध वित्त के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक नवीन दृष्टिकोण अपनाया है।

क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना







ग्राम पंचायत की रूपरेखा


यादव पट्टी ग्राम पंचायत एक दृष्टि में

0	स्थान	कुंडा ब्लॉक, प्रतापगढ़ जिला	जल संसाधन	4 तालाब, 11 कुएं	
	कुल क्षेत्रफल	234.38 हेक्टेयर			ी नदी (गंगा)
	संयोजन	4 राजस्व गांव 8 बस्तियां		कृषि जलवायु क्षेत्र ⁶	पूर्वी मैदानी जलवायु की स्थिति: मध्यम वर्षा के साथ गर्म गर्मी का मौसम और ठंडी
883	कुल जनसंख्या⁴	2,868			सर्दियों का मौसम की विशेषता अधिकतम तापमान: 45.2°C
显	पुरुषों की संख्या	1,570	₹\$		न्यूनतम तापमान: 5 °C औसत वार्षिक वर्षा-1,134 mm
	महिलाओं की संख्या	1,298			मिट्टी: मुख्य रूप से जलोढ़ उपयुक्त फसलें: मक्का, दालें और
	कुल परिवार⁵	516			सब्जियां
	पंचायत अवसंरचना	3 (पंचायत भवन, 1 प्राथमिक		जिले की समग्र ⁷ भेद्यता	कम
7 4	प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र)		जिले की क्षेत्रीय भेद्यता	जल भेद्यता: अधिक ऊर्जा भेद्यता: अधिक
# <u>#</u>	भूमि-उपयोग	कृषि भूमि 112 हेक्टेयर समान्य भूमि 0.75 हेक्टेयर अन्य भूमि 122 हेक्टेयर 7 बाग / फल उद्यान			कृषि भेद्यता: मध्यम वन भेद्यता: मध्यम ग्रामीण विकास की भेद्यता: मध्यम स्वास्थ्य भेद्यता: मध्यम आपदा प्रबंधन की भेद्यता: कम

⁴ जनगणना 2011 के आंकड़े: कुल जनसंख्या - 837; पुरुष - 442; महिला - 395 5 451 पक्के घर और 65 कच्चे घर (मिट्टी और टाइल)

⁶ उत्तर प्रदेश कृषि विभाग

⁷ उत्तर प्रदेश एसएपीसीसी 2.0 † योजना को तैयार करने के लिए किए गए फ़ील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े (मार्च-अप्रैल, 2023)




चित्र 1: यादव पट्टी ग्राम पंचायत, प्रतापगढ़ जिला का भूमि-उपयोग का मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता डेटा – तापमान और वर्षा⁸-दर्शाते हैं कि 2019 में, वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान में 1991 की तुलना में 2.24 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई, जबिक वार्षिक औसत अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया (चित्र 2 देखें)। उसी समय-सीमा के दौरान, वार्षिक वर्षा में थोड़ी कमी आई है (चित्र 3 देखें)। हालांकि, आईएमडी के आंकड़े ग्राम पंचायत स्तर पर तापमान में होने वाली व्यापक परिवर्तनशीलता को नहीं दर्शाते हैं, इसके अतिरिक्त, कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया, संपूर्ण विश्व की भूमि और महासागर की तुलना में औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020 के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है⁹। इसी तरह के निष्कर्षों की पृष्टि जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)¹⁰ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमआईएस)¹¹ द्वारा भी की गयी है।



चित्र 2: यादव पट्टी में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1991-2019

चित्र 3: यादव पट्टी में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1991- 2019

⁸ दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) के आंकड़ें और दैनिक बारिश के आंकड़ें बाराबंकी, फुरसतगंज, फैजाबाद, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर 1 स्टेशन से प्राप्त किए गए हैं। (यादव पट्टी ग्राम पंचायत के निकटतम आईएमडी स्टेशन)।

⁹ एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)

¹⁰ AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)


¹¹ भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES), भारत सरकार की एक रिपोर्ट https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2

इसके अलावा, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त मौसम परिवर्तन पर समुदायों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मियों के दिनों की संख्या में 15 दिनों की वृद्धि और सर्दियों के दिनों की संख्या में लगभग 20 दिनों की कमी देखी गई है। बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 20 दिनों की कमी आई है। ग्राम पंचायत के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता के विश्लेषण में आईएमडी के आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवाय परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया।


प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

यादव पट्टी में कृषि आय का प्राथमिक स्रोत है, जिसमें लगभग 54 प्रतिशत परिवार संलग्न हैं (चित्र 4 देखें)। इसके बाद 19 प्रतिशत परिवार गैर-कृषि दिहाड़ी मजदूरी और लगभग 9 प्रतिशत परिवार पशुपालन से जुड़े हुए हैं। कुछ परिवार सेवा क्षेत्र, लघु/कुटीर उद्योग तथा स्थानीय व्यवसाय चलाने में संलग्न हैं।

सर्वेक्षण के समय, ग्राम पंचायत में लगभग 8 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे। राशन कार्ड के आंकडों से पता चलता है कि लगभग 87 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। इनमें से, 40 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड हैं¹² (चित्र 5 देखें)।



चित्र 4: यादव पट्टी में पारिवारिक स्तर पर आय के स्रोत




चित्र 5: यादव पट्टी में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं

यादव पट्टी में लगभग 40 महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं जिसमें ज्यादातर कृषि और मजदूरी में लगी हुई हैं। कुछ महिलाएं सेवा क्षेत्र और पशुपालन से जुड़ी हुई हैं। ग्राम पंचायत में 78 महिला प्रधान परिवार हैं¹³ (कुल परिवारों का लगभग 15 प्रतिशत)। फ़ील्ड सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि पंचायत में 2 सक्रिय स्वयं सहायता समूह हैं जो ज्यादातर सिलाई के काम में संलग्न हैं।

¹² राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/ReportNikayWise.aspx?val=NCMxNDkjUiMwMDE5OTIjMDU5NTYx 13 महिला-प्रधान परिवार वे परिवार होते हैं जहां महिलाएं एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं।




चित्र 6: यादव पट्टी में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या

कृषि


यादव पट्टी में 54 प्रतिशत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं और वे विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत कृषि से जुड़े हुए हैं, जैसा कि¹⁴ चित्र 7 में दिखाया गया है।

यादव पट्टी में बुआई का कुल क्षेत्रफल लगभग 112 हेक्टेयर है जबिक कुल सकल फसली क्षेत्र ~ 195 हेक्टेयर है (चित्र 8 देखें)। ग्राम पंचायत में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें धान, मक्का, उड़द और मूंग हैं। इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें गेहूं, गन्ना और हल्दी हैं। सिंचाई का मुख्य स्रोत वर्षा जल और भूजल (ट्यूबवेल और नहरों के माध्यम से) है। ग्राम पंचायत में ग्रिड से जुड़े 8 इलेक्ट्रिक पंप और 4 डीजल पंप उपयोग किये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत की 9 प्रतिशत आबादी पशुपालन में लगी हुई है। यादव पट्टी में कुल पशुधन आबादी 2,055 (465 गाय, 590 भैंस, 1,000 बकरियां) है। यादव पट्टी में बहुत कम संख्या में सूअर (10) भी हैं।



चित्र 7: यादव पट्टी में केवल कृषि पर निर्भर परिवार



चित्र 8: यादव पट्टी में सकल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण

प्राकृतिक संसाधन

क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार यादव पट्टी में 4 तालाब और 11 कुएं हैं। जल निकायों के पास कृषि वानिकी वृक्षारोपण किया गया है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण में देखा गया है कि लगभग 81 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण मौजूद है, जो ज्यादातर निजी स्वामित्व में है। आमतौर पर लगाए जाने वाले वृक्षों की प्रजातियों में सागौन, नीम, शीशम और जामुन शामिल हैं (जिनकी उत्तरजीविता दर 90% है)¹5। ग्राम पंचायत में¹ि कुछ आम के बाग भी हैं।

¹⁴ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से कृषि संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए, छोटे ज़मींदार भी बड़े खेतों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बडी भूमि के स्वामित्व वाले किसान भी अनुबंध खेती कर सकते हैं।

¹⁵ जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान बताया गया है

¹⁶ जैसा कि एचआरवीसीए में बताया गया है

यादव पट्टी में सुविधाएं

बिजली और घरेलू गैस (एलपीजी)

- बिजली कनैक्शन : 98% घर
- रसोई गैस कनैक्शन 95% घर¹⁷

जल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति हेतु पानी का मुख्य स्रोत: भूजल
- हैंडपंप: 144¹⁸

अपशिष्ट

- · खुले में शौच से मुक्त (ODF) का दर्जा: प्राप्त
- घरेलू शौचालय कवरेज: 100%

आवागमन एवं बाज़ार तक पहुंच

- राज्य राजमार्ग 1 (प्रयागराज-लखनऊ) से कनेक्टिविटी 3 किमी
- 15 किमी की दूरी पर रेलवे स्टेशन
- 14 किमी की दूरी पर बस स्टेशन
- 7 किमी की दूरी पर सरकारी राशन की दुकान
- 0.5 किमी की दूरी पर कृषि बाज़ार
- 14 किमी की दूरी पर पोस्ट ऑफिस

शैक्षिक संस्थान

• 1 प्राथमिक विद्यालय

स्वास्थ्य संस्थान

• आंगनवाड़ी केंद्र









¹⁷ जैसा कि पंचायत सचिव ने बताया

¹⁸ पाइप से जलापूर्ति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं




कार्बन फुटप्रिंट

हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधार रेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, प्रस्तावित अनुशंसाओं में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस के अनुमानों को सम्मिलित नहीं किया गया है।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट, LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, यादव पट्टी ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से लगभग 2,249 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e) उत्सर्जित किया (चित्र 9 देखें)।

कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों ने यादव पट्टी के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया है। कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का प्रयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन से होने वाला उत्सर्जन, तथा फसल अवशेष जलाने से होने वाला उत्सर्जन शामिल है। ऊर्जा क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन बिजली की खपत¹⁹, खाना पकाने के लिए लकड़ी और रसोई गैस का उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 9: 2022 में यादव पट्टी में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

यादव पट्टी ग्राम पंचायत के कुल उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन का योगदान लगभग 52 प्रतिशत था, जिसमें पशुधन (795.71 tCO_2e) और धान की खेती (~265.36 tCO_2e) से होने वाले उत्सर्जन जीएचजी उत्सर्जनके प्रमुख कारण हैं। कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान लगभग 43 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में, परिवहन श्रेणी (~449 tCO_2e) प्रमुख उत्सर्जक है, इसके बाद आवासीय खाना पकाना (254.7 tCO_2e) तथा बिजली खपत (264.63 tCO_2e) का स्थान है। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र का योगदान लगभग 5 प्रतिशत है।



चित्र 10: 2022 में यादव पट्टी के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी



व्यापक मुद्दे

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गईगयी है। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पृष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पृष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दों को प्रस्तावित गतिविधियों के अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध किया गया है।

व्यापक मुद्दे:

- मौसम की अविध में परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के साथ-साथ फसलों की बुवाई का समय, कटाई का समय और सिंचाई की आवश्यकताएँ प्रभावित हो रही हैं।
- जुलाई से अक्टूबर में लगातार जलभराव की समस्या। 2018 और 2022 में सूखे की स्थिति का सामना किया गया।
- अस्थाई कृषि और पशुपालन की पद्धितियाँ, कीटों और फसल के रोगों की लगातार घटनाओं से फसल को नुकसान होता है।
- उचित अपशिष्ट प्रबंधन पद्धितयों के अभाव के कारण सार्वजिनक क्षेत्रों, कुओं और तालाबों में अपशिष्ट फेंका जाता है।
- जल निकायों सिहत प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव, जिससे ग्राम पंचायत में तालाबों और उपयोग करने योग्य कुओं की संख्या में कमी आई है।
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन की आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचे के रखरखाव की कमी जिससे ग्राम पंचायत में अनुभव की जाने वाली जलभराव की समस्या को बढ़ाती है।
- सड़क के बुनियादी ढांचे के अनुचित रखरखाव से आवागमन में बाधा आती है और जलभराव की समस्या और विकराल हो जाती है।
- जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों के बारे में जानकारी का अभाव।
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवाय परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव।

5

प्रस्तावित सुझाव

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। गतिविधियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों²⁰ (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया हैं: चरण- I (2024-25 से 2026-27); चरण- II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों को प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए आगे वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत के लिए पहचाने गए वित्तपोषण के साधनों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधियों या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेपों के माध्यम से निजी वित्त शामिल हैं। विस्तृत गतिविधियां/संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

कार्य योजना में प्रस्तावित सुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

- 1. सतत कृषि
- 2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
- 3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
- 4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- 5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
- 6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता
- 7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, गितविधियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँिक, ये पहल/ प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इसलिए, उन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल नहीं किया गया है।

²⁰ लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे: ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त जानकारी, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत का अनुमान, अधवा आवश्यक इनपुट की प्रति इकाई अनुमानित लागत अथवा विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियां।



1. सतत कृषि

संदर्भ एवं मुद्दे21

- यादव पट्टी में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 112 हेक्टेयर है और कुल फसल क्षेत्रफल लगभग 195 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में लगभग 54 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर हैं और 9 प्रतिशत परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पर निर्भर हैं।
- ग्राम पंचायत में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें धान, मक्का, उड़द और मूंग हैं। इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें गेहूं, गन्ना और हल्दी हैं।
- यादव पट्टी ने मौसम की अविध में परिवर्तन, वर्षा में परिवर्तन (बेमौसम और अनियमित) की घटनाओं का अनुभव किया है। ग्राम पंचायत ने 2018
 और 2022 (ज्यादातर जून-अगस्त के दौरान) में सूखे का अनुभव किया है।
- मानसून के देर से आने के कारण धान की बुवाई का मौसम जून के आरंभ से जुलाई में बदल गया है। इसी प्रकार, सर्दियों की देर से शुरुआत के कारण गेहूं की बुवाई अब नवंबर से दिसंबर तक बदल गई है।
- किसान प्रति वर्ष \sim 38 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष \sim 71 टन $\mathrm{CO_2e}$ का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं।
- 2018-2022 (सितंबर से जनवरी अविध) के बीच लगभग हर साल बार-बार होने वाले कीट और फसल रोग।
- 2021 और 2022 के वर्षों में, बीमारी के कारण फसल का नुकसान (धान) हुआ है। कुल 170 क्विंटल उपज या लगभग ₹1,68,000 का नुकसान हुआ (जो संबंधित वर्षों के प्रचलित एमएसपी से पुष्ट होता है)।
- यादव पट्टी में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से पता चला कि कृषि में जल के उपयोग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों के इस्तेमाल पर ज़ोर दिये जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त बातें अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।



जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती

2024-25 से 2026-27

2027-28 से 2029-30

 \mathbf{II}

Ш

2030-31 से 2034-35

- 1. उपयुक्त कृषि क्षेत्र पर सूक्ष्म सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना²²
- 2. आवश्यकता होने पर खेतों के चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी/बंधों का निर्माण
- 3. फसल की पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए चावल की सूखा सहनशील किस्म (रत्न, पंत-12, नरेन्द्र-80, 2026) को अपनाना और (प्रत्यक्ष बीजित चावल साकेत-4 में बदलाव करना²³
- 4. गेहूं की सूखे के प्रति सहनशील किस्मों को अपनाना
- 5. बाजरा और दलहन जैसी सूखे के प्रति सहनशील फसलों के साथ फसल चक्रण और मिश्रित फसल
- 6. जहां तक संभव हो कृषि तालाब बनाकर कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देना
- 7. किसानों को फसल के नुक्सान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरुक करना

- सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना
- मेड़बंधी/बंधों का विस्तार
- आवश्यकता होने पर अधिक कृषि तालाबों का निर्माण
- 4. धान और गेहूं की सूखे के प्रति सहनशील किस्मों को अपनाने के लिए चरण I की गतिविधियों का विस्तार
- 5. बाजरा और दलहन जैसी सूखे के प्रति सहनशील फसलों के साथ फसल चक्रण और मिश्रित फसल
- 6. किसानों को उनकी फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए जागरूक करना और किसानों को सहायता प्रदान करने की पहल जारी रखना

- सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना
- 2. धान और गेहूं की सूखे के प्रति सहनशील किस्मों को अपनाने के लिए चरण II की गतिविधियों का विस्तार

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

- 1. उपयुक्त कृषि भूमि के 30% पर सूक्ष्म सिंचाई
- 2. मेड़बंधी/बंध का निर्माण ~748 हेक्टेयर कृषि भूमि का (50%)
- 3. जहां तक संभव हो और आवश्यक-तानुसार 300 m³ क्षमता वाले कृषि तालाबों का निर्माण
- उपयुक्त कृषि भूमि के 40% पर सूक्ष्म सिंचाई
- 2. शेष ~ 748 हेक्टेयर कृषि भूमि के चारों ओर मेड़बंधी/बंधों का निर्माण (100%)
- उपयुक्त कृषि भूमि के 100% पर सूक्ष्म सिंचाई
- मेड़बंधी/बंधों और कृषि तालाबों का रखरखाव

नक्ष्य

²² उपयुक्त कृषि भूमि में सरसों, आलू और अन्य सब्जियों के लिए भूमि शामिल है 23 जिले के लिए कृषि आकस्मिक योजनाः प्रतापगढ़ (https://agriwelfare.gov.in/sites/default/files/UP66-Pratapgarh-31.07.14_0.pdf)

अनुमानित लागत

- प्रति हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई की लागत:
 ₹1,00,000
- 2. मेड्बंधी/बंध: लगभग ₹1,12,250
- 300 m³ क्षमता के 1 कृषि तालाब की लागत: ₹90,000

कुल लागत: ₹1,12,250 से अधिक

- सूक्ष्म सिंचाई: आवश्यकता के अनुसार
- मेड़बंधी/बंध: लगभग
 ₹1,12,250
- 3. पुनर्भरण गड्ढे : आवश्यकतानुसार लागत

कुल लागत: ₹1,12,250 से अधिक

सूक्ष्म सिंचाई: आवश्यकता के अनुसार



प्राकृतिक खेती अपनाना

चरण

Ι

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

 जैविक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।

- » प्रशिक्षण और प्रदर्शन
- » नर्सरी एवं स्थानीय बीज बैंक का विकास
- » जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रक्रिया प्रारम्भ करना
- » बाजार संपर्क स्थापित करना
- मिश्रित फसल, फसल चक्र, मिल्चंग, जीरो टिलेज जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना
- सिंचित खेतों से वाष्पीकरण के नुकसान को कम करने के लिए मिल्चिंग का उपयोग
- 4. कृषि-पारिस्थितिकी प्रणाली विश्लेषण (AESA) आधारित एकीकृत कीट प्रबं-धन (IPM) रणनीतियों को बढावा देना

चरण I की गतिविधियों का विस्तार

चरण I की गतिविधियों का विस्तार

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

~17 हेक्टेयर (15 प्रतिशत) भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना ~ 45 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना शेष 50 हेक्टेयर (100% कवरेज) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

अनुमानित नागत

- प्रशिक्षण की लागत (एक बार):
 ₹60,000
- 2. भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन: ~ ₹41,51,280

कुल लागत: ₹42,11,280

- प्रशिक्षण की लागत (एक बार):
 ₹60,000
- भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन:
 ₹1,10,70,080

कुल लागत: ₹1,11,30,080

- प्रशिक्षण की लागत (एक बार):
 ₹60,000
- भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन:
 ₹1,24,53,840

कुल लागत: ₹1,25,13,840



सतत पशुधन प्रबंधन

वरण

I

2024-25 से 2026-27

Π

2027-28 से 2029-30



2030-31 से 2034-35

पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच

पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच
में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों
को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु
चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित करना

पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "अतिरिक्त संस्तुतियाँ" देखें।

- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार
- आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार
- आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

- पशुपालन में लगे परिवारों के लिए सतत पशु पालन क्रियाएँ बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना
- 2. 2 पैरा-वेट का प्रशिक्षण²⁴
- रोग की रोकथाम और स्थायी/ सतत पशु पालन क्रियाएँ पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना
- पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- रोग की रोकथाम और स्थायी/ सतत पशु पालन क्रियाएँ पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना
- पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

अनुमानित लागत

लक्ष्य

कार्यशाला और पैरा-वेट प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उ०प्र० बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- सेट-अप और संचालन: कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद के लिए शीत भंडारण सुविधा ('स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच' अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया,
 सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाज़ार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- िकसानों, FPO, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने,
 सूखारोधी कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सिहत क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- इसके अतिरिक्त, यादव पट्टी में सतत कृषि में लगे किसानों, FPO, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी
 विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों, CSO और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईपीएम)
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रतापगढ़



2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

संदर्भ और मुद्दे25

- यादव पट्टी में पानी का प्राथमिक स्रोत भूजल है। पानी के लिए परिवार हैंडपंप पर भी निर्भर हैं। यान पंचायत में 144 हैंडपंप उपयोग किये जा रहे हैं।
- ग्राम पंचायत में 4 तालाब²⁷ और 11 कुएं हैं। हालांकि, इन तालाबों और कुओं का रखरखाव ख़राब तरीके से किया जाता है जिससे यह सभी गाद, मलबे, खरपतवार और प्लास्टिक से भर गए हैं। इनमें से एक तालाब को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- यादव पट्टी में जलभराव एक प्रमुख चिंता का विषय है, विशेषकर मानसून के मौसम में जुलाई से अक्टूबर तक। जल निकासी के बुनियादी ढांचे के अपर्याप्त रखरखाव के कारण यह समस्या और अधिक बढ़ गई है।
- यादव पट्टी सिंचाई के लिए मुख्यत मौसमी जल स्रोतों पर निर्भर है तथा निवासियों ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि कार्यों के लिए जल की आवश्यकता बढ़ी है।

भूजल पर निर्भरता जल संरक्षण और भूजल संसाधनों की पूर्ति के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। यादव पट्टी में भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने और पानी की उपलब्धता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं

²⁶ ग्राम पंचायत के लिए पाइप द्वारा जलापूर्ति डेटा उपलब्ध नहीं है 27 सटीक स्थानों के लिए एचआरवीसीए देखें



🌋 जल निकायों का कायाकल्प और संरक्षण

_
न्
மு
包
1
स्मार्ट
क्लाइमेट
प्रस्तावित

2024-25 से 2026-27

II

Ш

2030-31 से 2034-35

- 1. तालाबों की सफाई, गाद निकालना, गहरा
 - करना और तालाबों के आसपास बाड़ लगाना
- 2. कुओं की सफाई और मरम्मत
- पानी की उपलब्धता में सुधार करने के लिए हैंड पंपों की रीबोरिंग
- 4. जल निकायों के चारों ओर ट्री गार्ड के साथ पेड़ लगाना
- जल उपयोग दक्षता और जल संरक्षण को बेहतर करने के लिए विभिन्न प्रमुख सामु-दायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मौजूदा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) का क्षमता निर्माण

1. तालाबों का नियमित रखरखाव

2027-28 से 2029-30

- 2. कुओं और हैंडपंपों का रखरखाव
- तालाबों के चारों ओर अतिरिक्त पेड लगाना
- 4. समुदाय एवं अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण

तालाबों का नियमित रखरखाव

- 1. 4 तालाबों की सफाई और गाद निकाला जाना
- 2. 10 कुओं की सफाई और मरम्मत
- 3. एक तालाब को गहरा करना
- 4. 70 पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण
- 5. 47 हैंडपंप रिबोर
- 6. तालाबों के चारों ओर ट्री गार्ड सहित 1,000 पेड़ लगाना

- 1. 12 तालाबों का रखरखाव
- 4 कुओं और हैंडपंपों का रखरखाव
- तालाबों के आसपास 1,000 अतिरिक्त पेड़ लगाना

12 तालाबों का रखरखाव

जध्य

- तालाबों की सफाई, डिसिल्टिंग:
 ₹12,00,000
- 10 कुओं की सफाई और मरम्मत: ₹7,65,000
- एक तालाब को गहरा करना:
 ₹8,00,000
- 4. हैंडपंप की रिबोरिंग: ₹ 28,20,000
- जल निकायों के चारों ओर पेड़ लगाना:
 'हरित स्थानों और जैविविधता को बढ़ाना' अनुभाग में शामिल है

कुल लागत: ₹55.85 लाख

- तालाबों का रखरखाव:
 ₹15,00,000
- कुओं और हैंडपंपों का रखरखाव: आवश्यकता के अनुसार
- जल निकायों के चारों ओर पेड़ लगाना: 'हिरत स्थानों और जैविविधिता को बढ़ाना' अनुभाग में शामिल है

कुल लागत: ₹15 लाख

तालाबों का रखरखाव: ₹15,00,000 कुल लागत: ₹15 लाख

मानित



🤰 जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना

चरव
k)

2024-25 से 2026-27

2027-28 से 2029-30

2030-31 से 2034-35

- 1. नर्ड नालियों का निर्माण
- 2. मौजूदा नालियों की सफाई, गाद निकालना और मरम्मत

चरण I की गतिविधियाँ जारी

चरण I की गतिविधियाँ जारी

1. 8 स्थानों पर लगभग 1.54 किमी लंबाई की नालियों का निर्माण²⁹

- 2. मौजूदा नालियों के 0.85 किमी की सफाई (कुछ स्थानों में नालियों को गहरा करना शामिल है)30
- 3. सामरिक स्थानों में पुलिया का निर्माण
- नालियों का निर्माण: ₹40,70,000
- 2. मौजूदा नालियों की सफाई: ₹8,20,000
- 3. तीन स्थानों पर पुलिया का निर्माण³¹: ₹17,00,000

कुल लागत: ₹65.9 लाख

ग्राम पंचायत में नालियों का नियमित रखरखाव

ग्राम पंचायत में नालियों का नियमित रखरखाव

आवश्यकतान्सार

आवश्यकतान्सार



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)

चरण

2024-25 से 2026-27

2030-31 से 2034-35

1. पंचायत में स्थित सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना

- 2. भूजल पुनर्भरण के लिए पुनर्भरण गड्ढे
- 3. सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना

1. आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच

2027-28 से 2029-30

- संरचनाओं की स्थापना 2. पहचाने/चिन्हित किए गए जलग्र-
- हण क्षेत्रों में अधिक पुनर्भरण गड्ढें खोदना/खाइयां बनाना
- 3. सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना
- 1. आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना
- 2. सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना

³⁰ नालियों के सटीक स्थानों के लिए एचआरवीसीए को देखें (नया और मौजूदा)

³¹ जैसा कि एचआरवीसीए में दर्शाया गया है

- 2. भूजल पुनर्भरण के लिए पुनर्भरण गड्ढे
- जिन परिवारों के पास 1,500 वर्ग फुट से अधिक का प्लॉट है, उन्हें 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता वाली आरडब्ल्यूएच संरच-नाएं स्थापित करना
- आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुनर्भरण गङ्गे खोदे जाना
- जिन परिवारों के पास 1,000 वर्ग फुट से अधिक का प्लॉट है, उन्हें 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता वाली आरडब्लूयएच संरचनाएं स्थापित करना
- 2. पुनर्भरण गड्ढों का रखरखाव

लक्ष्य

ग्नुमानित लाग

- आरडब्ल्यूएच : 3 यूनिटों के लिए ₹1,05,000
- 70 पुनर्भरण गड्ढों की लागत:
 ₹ 9,90,000

कुल लागत: ₹10,95,000

- आरडब्ल्यूएच : आवश्यकता के अनुसार लागत (10 m³ क्षमता वाली एक वर्षा जल संचयन संरचना के लिए ₹35,000)
- पुनर्भरण गह्रे : आवश्यकतानुसार लागत

आवश्यकतानुसार लागत

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य का वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रख-रखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित
 किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग



3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

संदर्भ और मुद्दे 32

- यादव पट्टी में जल निकायों के पास कृषि वानिकी वृक्षारोपण किया गया है।
- क्षेत्रीय सर्वेक्षण में देखा गया है कि लगभग 81 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण मौजूद है, जो ज्यादातर निजी स्वामित्व में है। आमतौर पर लगाए जाने वाले वृक्षों की प्रजातियों में सागौन, नीम, शीशम और जामुन शामिल हैं (जिनकी उत्तरजीविता दर 90% है)³³। ग्राम पंचायत में कुछ आम के बाग भी हैं।
- यादव पट्टी में कोई सीमांकित वन भूमि नहीं है।

जबिक ये गतिविधियाँ यादव पट्टी में की जा रही हैं, फिर भी ग्राम पंचायत की कुछ भूमि की उपलब्धता के साथ यादव पट्टी में हरे भरे स्थानों को बढ़ाने की और संभावना है। यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अविध में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।



हरित आवरण में सुधार

ı	
ı	•
ŀ	V
Ì	Þ

विभिन्न पहलों/प्रयासों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित³⁴ वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियाँ :

- a. छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम³⁵ (5 छात्र चयनित)
- b. देशी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण
- आरोग्य वन तैयार करना भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों³⁶ और पेड़ों का रोपण

H

2027-28 से 2029-30

- 1. मौजूदा वृक्षारोपण का रखरखाव
- बाल वन के निर्माण के साथ अतिरिक्त वृक्षारोपण गतिविधियां जारी³⁷
- किसानों को उपयुक्त भूमि पर कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना
- 4. **आरोग्य वन** की स्थापना

III

2030-31 से 2034-35

- वृक्षारोपण गतिविधियों को जारी रखने और बनाए रखने के लिए-बाल वान, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपण
- कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त
 100% भूमि कृषि वानिकी पहल
 के अंतर्गत कवर
- आरोग्य वन का रखरखाव किया जाना तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए यूनिट स्थापित करना

³² जैसा कि क्षेत्रीय के सर्वेक्षणों और FGD के दौरान समुदाय से समझा गया और संबंधित स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई

³³ जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान बताया गया है

³⁴ अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्षों की प्रजातियाँ

³⁵ स्कूल के छात्रों को पेड़ लगाने के कार्यों में शामिल किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेता चुने जाएंगे जो अपने साथियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत समुदाय को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

³⁶ उपयुक्त प्रजातियों को अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध किया गया है

³⁷ नए माता-पिता को उनके बच्चे को जन्म देने के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार पेड़ों के पौथे उपहार में दिए जाएंगे तथा उन्हें उनके बच्चों की देखभाल के साथ-साथ इन पौथों की देखभाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जागा।

- 1. आम और लुप्त हो रहे पेड़ों के 1,000 पौधों का रोपण करना और कम से कम 65% जीवित रहने की दर (ट्टी गार्ड का इस्तेमाल करके) सुनिश्चित करना 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 5,600 टन CO, से 10,000 टन CO₂
- 2. आरोग्य वन स्थापित करने के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि आवंटित/ सीमांकन
- 1. ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जलाशयों के किनारे 1,500 से 2,000 पौधे रोपित 15-20 वर्षों में पृथ्थकरण क्षमता 9,800 tCO, से 17,500 tCO₂
- 2. ~20 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाया गया (40% भूमि कृषि वानिकी के लिए उपयु-क्त है³⁸), 2,000 पेड़ सागवन वृक्षारोपण की पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 11,200 tCO₂ से 20,000 tCO₂)
- 3. आरोग्य वन की स्थापना एवं रखरखाव किया जाना
- 4. प्राकृतिक दवाओं और सप्लीमेंट्स के निर्माण और विपणन के लिए FPO, महिला समूहों, युवा समूहों का क्षमता निर्माण

- 1. अतिरिक्त 1,500 से 2,000 पौधे 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 9,800 टन CO, से 17,500 टन СО,
- 2. कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त शेष भूमि पर कृषि वानिकी को अपनाया गया, अर्थात ~30 हेक्टे-यर भूमि, 3,000 पेड़ लगाना सागवन वृक्षारोपण की पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 16,800 tCO, से 30,000 tCO,)
- 3. आरोग्य वन का रखरखाव किया जाना तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन जारी रखना

1. वृक्षारोपण की गतिविधियां: ₹19,05,000 से ₹25,40,000

2. कृषि वानिकी की गतिविधियां: लगभग ₹8,00,000

कुल लागत: ₹27,05,000 से ₹33,40,000

- 1. वृक्षारोपण की गतिविधियां: ₹19,05,000 से ₹25,40,000
- 2. कृषि वानिकी की गतिविधियां: लगभग ₹12,00,000

कुल लागत: ₹31,05,000 से ₹37,40,000

नर्सरी की स्थापना

वृक्षारोपण की गतिविधियां: ₹12,70,000

कुल लागत: ₹12,70,000

2024-25 से 2026-27

- 1. स्वयं सहायता समूहों को रोजगार देकर ग्राम पंचायत के लिए नर्सरी स्थापित करना
- 2. नर्सरी को बनाए रखने और चलाने के लिए स्वयं सहायता को प्रशिक्षित करना

II

2027-28 से 2029-30

नर्सरी का रखरखाव

2030-31 से 2034-35

नर्सरी का रखरखाव

लक्ष्य	ग्रीन कवर को बढ़ाने और महिलाओं को अतिरिक्त आय प्रदान करने में मदद करने के लिए ग्राम पंचायत भूमि पर एक नर्सरी स्थापित करना ³⁹	1 नर्सरी का रखरखाव	1 नर्सरी का रखरखा
अनुमानित लागत	नर्सरी के निर्माण और संचालन की लागत: ₹2,00,000 कुल लागत: ₹2,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
प्रस्तावित क्लाइमेट	 जन जैवविविधता रजिस्टर को	 जन जैवविविधता रजिस्टर का	 जन जैवविविधता रजिस्टर का
स्मार्ट गतिविधियाँ	अद्यतन करना जागरूकता पैदा करना	अद्यतनीकरण जारी रखना जागरूकता को सुदृढ़ करना	अद्यतनीकरण जारी रखना जागरूकता को सुदृढ़ करना
लक्ष्य	 जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) का गठन और क्षमता विकास जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन 	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना
अनुमानित लागत	जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) का गठन और प्रशिक्षण की लागत⁴0: ₹25,000		

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उप्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उप्र राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजिंटंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
 - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:

³⁹ जैसा कि HRVCA में दिया गया है: स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी) की सहायता से आंवला, आम, अमरूद, पपीता, करोंदा, जामुन जैसे 1,000 वृक्षों का व्यक्तिगत वानिकी कार्य (इसमें 100 महिलाओं को शामिल किया जाएगा

⁴⁰ जैविविविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैविविविधता प्राधिकरण। http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf

- » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाएं।
- » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है
- BMC के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (OSR) से एकत्र राजस्व
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना' की संस्तुतियों में वर्णित है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ



4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

संदर्भ और मुद्दे41

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरों, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों) से उत्पन्न कुल अपशिष्ट लगभग ~229 किलोग्राम प्रति दिन है, जिसमें से लगभग 133 किलोग्राम प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट और प्रतिदिन लगभग 110 किलोग्राम नॉन-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक अपशिष्ट है (आकलन पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें)।
- क्षेत्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत में अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण का कार्य सीमित है। सार्वजनिक स्थानों और नालियों में अक्सर कूड़ा-कचरा पड़ा हुआ पाया जाता है। इससे नालियों के बंद होने के कारण जलभराव की समस्या होती है।
- ग्राम पंचायत में 100 प्रतिशत घरेलू शौचालय कवरेज है।
- कुल पशुधन आबादी 2,055 (465 गाय, 590 भैंस, 1,000 बकरियां) है। प्रतिदिन अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 14 टन है जिसे कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे उपायों के माध्यम से काफी हद तक प्रबंधित किया जा सकता है।42. इतनी बड़ी पशुधन आबादी के साथ, बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के माध्यम से पशुधन अपशिष्ट का प्रबंधन करने का अवसर है ("स्वच्छ, सतत किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग देखें)। यादव पट्टी में बहुत कम संख्या में सूअर (10) हैं।

इस पृष्ठभूमि में, 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं

⁴¹ जैसा कि क्षेत्र के सर्वेक्षणों और FGD के दौरान समुदाय से समझा गया और संबंधित स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई 42 अनुमानित है कि गार्ये प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर, भैंसें प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर तथा बकरियां प्रतिदिन 150 ग्राम/गोबर करती हैं।



📸 अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	 गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरे के लिए ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा की स्थापना घरों से ग्राम पंचायत-स्तरीय भंडारण सुविधा तक कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन चयनित स्थानों पर कूड़ेदान रखना पंचायत, स्वयं सहायता समूह, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रैप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के बीच साझेदारी स्थापित करना। 	 ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए रणनीतिक/चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/ जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	 ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव स्थापित कूड़ेदानों का रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/ जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
	 दैनिक अपशिष्ट संग्रह के लिए 1 इलैक्ट्रिक वाहन ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के तहत 516 घर (100%) कवर 	मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव (अपशिष्ट संग्रह के लिए अतिरिक्त इलैक्ट्रिक वाहन जोड़ना आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदान लगाना)	मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव
जक्ष्य	3. चयनित स्थानों पर 15 कूड़ेदान रखना		
-	4 4 -3 - T4 00 000		
अनुमानित लागत	 1 इलैक्ट्रिक वाहन: ₹1,00,000 15 कूड़ेदान: ₹2,30,000 कुल लागत: ₹3,30,000 	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन

चरण

स्तावित क्लाइमेट मार्ट गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

- नाडेप पिट और वर्मीकम्पोस्ट पिट की स्थापना
- पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी बनाना

II

2027-28 से 2029-30

- बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त कम्पोस्ट पिट स्थापित करना
- वर्मीकम्पोस्ट पिट का नियमित रखरखाव
- ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/ जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

Ш

2030-31 से 2034-35

- बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त कम्पोस्ट पिट स्थापित करना
- वर्मीकम्पोस्ट पिट का नियमित रखरखाव
- ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/ जिलों तक साझेदारी को बढाना

- विशिष्ट स्थानों पर 55 नाडेप पिट और 70 वर्मीकम्पोस्ट पिट की स्थापना
- पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच निम्न के लिए साझेदारी मॉडल ("आजीविका और हरित उद्यमशीलता")
 - » खाद का उत्पादन एवं विक्रय
 - » कृषि अपशिष्ट की बिक्री
- घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कृषि से निकलने वाले सभी (100 %) जैवनिम्नीकरणीय/जैविक अप-शिष्ट के उपचार के लिए अतिरिक्त कम्पोस्ट पिट की स्थापना
- नाडेप और वर्मीकम्पोस्ट पिट्स का रखरखाव
- 3. भागीदारी बढाना

- घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कृषि से निकलने वाले सभी (100 %) जैवनिम्नीकरणीय/ जैविक अपशिष्ट के उपचार के लिए अतिरिक्त कम्पोस्ट पिट की स्थापना
- 2. कम्पोस्ट पिट का रखरखाव
- 3. भागीदारी बढाना

लक्ष्य

अनुमानित लागत

- 55 नाडेप पिट की लागत:
 ₹4,00,000
- 70 वर्मीकम्पोस्ट पिट की लागत:
 ₹ 5,70,000

कुल लागत: ₹9,70,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

%

एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

गरण

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

- निम्नलिखित के लिए जागरूकता, प्र-शिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन:
 - ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति(वीडब्ल्यूएससी)
 - » छात्र एवं युवा समूह
 - असमुदाय के सदस्य और व्याव-सायिक प्रतिष्ठान
- प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों से उत्पादों के निर्माण के लिए पंचायत महिलाओं और एसएचजी के बीच साझेदारी मॉडल ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' खंड में विस्तार से समझाया गया है)

H

2027-28 से 2029-30

- नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/ जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

Ш

2030-31 से 2034-35

- नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/ जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

- एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध
- 2. 100-120 महिलाओं को प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में शामिल किया जाएगा (वर्तमान में एसएचजी से जुड़ी 150 महिलाओं में से)
- 1. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध
- इस ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों में प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण में भागीदारी बढाना:
 - » अतिरिक्त 200 महिलाएं
 - » अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी
- एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध
- उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक के उपयोग में कमी क्योंकि विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं

लक्ष्य

स्वच्छता बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

14<u>0</u>1

ग्स्तावित क्लाइमेट मार्ट गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

 सामुदायिक / सार्वजिनक शौचालयों का निर्माण और किसी भी घरेलू स्तर के शौचालयों की मरम्मत

TI

2027-28 से 2029-30

- आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण
- सामुदायिक शौचालयों का नियमित रखरखाव

III

2030-31 से 2034-35

- आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण
- आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण
- सामुदायिक शौचालयों का नियमित रखरखाव

बक्ष्य	और 212 घरेलू शौचालयों की मरम्मत	दायिक शौचालय का निर्माण 2. सामुदायिक शौचालय का रखरखाव	सायुपानक सामारान का स्वरचान
अनुमानित लागत	निर्माण और मरम्मत की लागत: ₹18,40,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

14 व्यक्तिगत घरेल शौचालयों का निर्माण⁴³ 1 आवश्यकतानसार सार्वजनिक/साम- सामदायिक शौचालय का रखरखाव

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्ढों, पृथक्करण और भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है;.
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फ़ंडिंग- पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल संयंत्र, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर का समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड













5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

संदर्भ और मुद्दे44

- यादव पट्टी ग्राम पंचायत ने 2022-23 में लगभग 3,22,714 यूनिट बिजली की खपत की। ग्राम पंचायत में लगभग 98 प्रतिशत घरों में बिजली की कनेक्टिविटी है। फ़ील्ड सर्वेक्षण के दौरान, निवासियों ने बताया कि बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। औसतन, ग्राम पंचायत को प्रतिदिन ~8 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है।
- कई घरों और सार्वजिनक उपयोगिताओं में इन्कन्डेसन्ट लैंप, CFL (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइट और अन्य कम दक्षता वाले इलेक्ट्रिकल फिक्चर और उपकरण इस्तेमाल में हैं।
- लगभग 95 प्रतिशत घरों में LPG कनेक्शन हैं⁴⁵। ~5 प्रतिशत घरों में खाना पकाने के लिए कंडे और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। खाना पकाने के लिये स्वच्छ ईंधन समाधानों की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी बल्कि घरों के भीतर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी मिलेंगे।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों के भीतर के तापमान में भी वृद्धि हो रही है जिसके कारण स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि अन्य के साथ पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022 को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए, यादव पट्टी में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधारा होगा बल्कि ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढाने में भी मदद मिलेगी।



सोलर रूफटॉप स्थापना

वरण

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाना⁴⁶ TT

2027-28 से 2029-30

- सभी नए निर्माण सोलर पैनल के साथ स्थापित किए जा सकते हैं
- 2. पक्के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाना

Ш

2030-31 से 2034-35

- सभी नए निर्माण सोलर पैनल के साथ स्थापित किए जा सकते हैं
- शेष पक्के घरों के लिए सोलर पैनल की स्थापना

⁴⁴ जैसा कि क्षेत्र के सर्वेक्षणों और समूह केन्द्रित चर्चा के दौरान समुदाय से समझा गया और संबंधित स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई

⁴⁵ जैसा कि ग्राम प्रधान ने बताया

⁴⁶ पंचायती राज संस्थाओं के भवनों में छत पर सोलर रूफटॉप की स्थापना की क्षमता 10 किलोवाट घंटा तक सीमित है। 1 kWp ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है (https://upneda.orq.in/faqs.aspx)

स्थापित की गई सोलर रूफटॉप क्षमता:

- » पंचायत भवन: 10 kWp
- भ 1 प्राथमिक विद्यालय (~2,000 वर्ग मीटर रूफटॉप क्षेत्रफल उपलब्ध है):
 10 kWp
- » आंगनवाड़ी केंद्र: 10 kWp

स्थापित की गई सोलर रूफटॉप क्षमता: 30 kWp

कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष ~40,176 kWh (प्रति दिन ~ 110 यूनिट)

ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग 33 tCO₂e हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना के आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक स्थापना के इस चरण में परिवार भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।

180 (40%) पक्के घरों पर स्थापित सोलर रूफटॉप क्षमता⁴⁷:

स्थापित की गई सोलर रूफटॉप क्षमता: 541 kWp

कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष ~7,24,775 kWh⁴⁸ (प्रति दिन ~ 1,986 यूनिट)

ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग $594 \, \text{tCO}_2 \text{e}^{49}$

271 (~100 प्रतिशत) पक्के घरों पर स्थापित सोलर रूफटॉप क्षमता:

स्थापित की गई सोलर रूफटॉप क्षमता: 812 kWp

कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष ~10,87,163 kWh⁵ (प्रति दिन ~ 2,979 यूनिट)

ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग 891 tCO₂e

नक्ष्य

ानुमानित ।।गत

कुल लागत: ₹15,00,000 (₹50,000 /kWp) कुल लागत: ₹2,70,60,000 सांकेतिक सब्सिडी⁵¹: ~40% (राज्य + सीएफए)

प्रभावी लागत: ₹1,62,36,000

कुल लागत: ₹4,05,90,000

सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए)

प्रभावी लागत: ₹2,43,54,000



कृषि-फोटोवोल्टिक

चरण

स्तावित क्लाइमेट मार्ट गतिविधियाँ

Ī

2024-25 से 2026-27

किसान समूहों आदि के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक जागरूकता बढ़ाने का कार्य II

2027-28 से 2029-30

उपयुक्त कृषि भूमि के भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित (बागवानी और दलहनी फसलों के अंतर्गत) Ш

2030-31 से 2034-35

उपयुक्त कृषि भूमि के भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित (बागवानी और दलहनी फसलों के अंतर्गत)

⁴⁷ घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना गया है; प्रति घर 3 kWp रुफटॉप की स्थापना का अनुमान

⁴⁸ यह उत्पादन ग्राम पंचायत में मौजूदा बिजली खपत से कई गुना अधिक है

⁴⁹ उत्सर्जन में कमी से ग्राम पंचायत को कार्बन तटस्थता की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।

⁵⁰ यह उत्पादन ग्राम पंचायत में मौजूदा बिजली खपत से कई गुना अधिक है

⁵¹ सब्सिडी परिवर्तनशील होती है और राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी की राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और मौजूदा समय में सटीक नहीं हो सकती है।

प _र अ	इल को	प्रोत्साहि और उन	त करने	टोवोल्टिव हेतु जाग ण सत्रों व	रूकता

2 हेक्टेयर पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना स्थापित क्षमता : 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 549 tCO₂e प्रति वर्ष 2 हेक्टेयर पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना स्थापित क्षमता : 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 549 tCO₂e प्रति वर्ष

अनुमानित लागत

आवश्यकतानुसार

कुल लागत: ₹5,00,00,000⁵²

कुल लागत: ₹5,00,00,000



सोलर पंप

वरण

•

2024-25 से 2026-27

Ш

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

ास्तावित क्लाइमेट स्मार्ट तिविधियाँ

- सभी मौजूदा डीजल पंप सेटों(4) को सौर पंपों से बदला जाना
- सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना
 *यदि सोलर पंप संभव नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत में ग्रिड से जुड़े सभी इलेक्ट्रिक पंपों का सौरीकरण
- सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना

सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/ उपयोग को प्रोत्साहित करना

स्थापित क्षमता : 22 kW सोलर आधारित बिजली का उत्पादन: 29,462 kWh प्रति वर्ष (~81 यूनिट

डीजल की खपत में कमी: 1,560

लीटर / वर्ष

उत्सर्जन में कमी: 4 tCO₂e प्रति वर्ष

ग्राम पंचायत में ग्रिड से जुड़े किसी भी अतिरिक्त इलेक्ट्रिक पंप का सौरीकरण ग्राम पंचायत में ग्रिड से जुड़े किसी भी अतिरिक्त इलेक्ट्रिक पंप का सौरीकरण

लक्ष्य

⁵² प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, एग्रो-फोटोवोल्टिक की लागत कम हो रही है। हालाँकि, इसकी लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान उच्चतर स्तर पर लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और इसी तरह की अन्य फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र को अपनाते हैं। इसलिए, बागवानी में उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत ही कृषि -फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।

कुल लागत: ₹12,00,000 से ₹20,00,000

(₹3,00,000 से ₹5,00,000/7.5 HP

सोलर पंप)

सांकेतिक सब्सिडी: 60% (राज्य + सीएफए)

प्रभावी लागत: ₹4,80,000 से ₹8,00,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण

2024-25 से 2026-27

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)

परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)

परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हा + एलपीजी

2027-28 से 2029-30

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)

परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)

परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हा + एलपीजी सभी नए घरेलू निर्माणों में उन्नत चूल्हे/ सोलर एनर्जी से चलने वाले कुकस्टोव और/ या घरेलू बायोगैस संयंत्र शामिल हैं

2030-31 से 2034-35

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)

परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंड-क्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हा + एलपीजी सभी नए घरेलू निर्माणों में उन्नत चूल्हे/ सोलर एनर्जी से चलने वाले कुकस्टोव और/ या घरेलू बायोगैस संयंत्र शामिल हैं

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट

परिदृश्य 1: 20 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (~25% परिवार जिनके पास बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी हैं)

परिदृश्य 3: 25 परिवार (100% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं, वे उन्नत चूल्हा लेंगे)

इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी शामिल है इसके अतिरिक्त, जहां संभव हो, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान के रूप में सोलर इंडक्शन कुकस्टोव पर भी विचार किया जा सकता है।

परिदृश्य 1: 20 अतिरिक्त परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (कुल मिलाकर 50% घरों में मवेशी हैं) परिदृश्य 3:कोई भी अतिरिक्त परिवार जो बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं वे उन्नत चूल्हे का उपयोग करेंगे इसमें ग्राम पंचायत में एलपीजी का नि-रन्तर उपयोग भी शामिल है (सभी 516 घरों में एलपीजी कनेक्शन हैं)

परिदृश्य 1: 40 अतिरिक्त परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (100% मवेशी वाले परिवार) परिदृश्य 3:कोई भी अतिरिक्त परिवार जो बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं वे उन्नत चूल्हे का उपयोग करेंगे

नक्ष्य

अनुमानित लागत

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹10,00,000 (2 से 3 घन मीटर बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000) परिदृश्य 2: 1 सोलर इंडक्शन कुकस्टोव की लागत ₹45,000 परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हों के लिए ₹75,000 परिदृश्यों की औसत लागत: ₹3,58,333 से अधिक

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹10,00,000 (2 से 3 घन मीटर बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000) परिदृश्य 2: 1 सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹45,000 परिदृश्य 3: 1 उन्नत चूल्हे के लिए ₹3,000

कुल लागत: ₹10,00,000 से अधिक

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹20,00,000 (2 से 3 घन मीटरके बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000) परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹ 45,000 परिदृश्य 3: 1 उन्नत चूल्हे के लिए ₹3,000 कुल लागत: ₹10,00,000 से अधिक

9

ऊर्जा कुशल फिक्स्चर

दव

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

Ш

2030-31 से 2034-35

 सभी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सार्व-जनिक भवनों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी)में सभी लाइट फिक्स्चर्स और पंखे को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर्स से बदला जाना

- सभी घरों में कम से कम एक इन्कन्डेसन्ट/ सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से बदला जाना या एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट को एलईडी ट्यूबलाइट से बदला जाना
- ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (BEE द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना

- घरों में सभी इन्कन्डेसन्ट बल्बों को एलईडी बल्बों से बदला जाएगा और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना
- 2. कम से कम 1 पारंपरिक पंखे को ऊर्जा कुशल पंखे से बदला जाना
- ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (BEE द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना

सभी घरों में सभी पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना

- सभी सरकारी भवनों में ट्यूबलाइट और पंखे बदले जाना
- 2. घरों में स्थापित 516 एलईडी ट्यूब लाइट (प्रति घर 1 ऊर्जा कुशल ट्यूब लाइट स्थापित की गई) और घरों में स्थापित 516 एलईडी बल्ब (प्रति घर 1 ऊर्जा कुशल बल्ब स्थापित)
- आवश्यकतानुसार सभी घरों में अतिरिक्त एलईडी बल्ब और ट्यूब लाइटें लगाया जाना
- प्रत्येक घर में 516 ऊर्जा कुशल पंखे लगाए जाना (प्रति घर 1 पंखा)

आवश्यकतानुसार सभी घरों में अतिरिक्त ऊर्जा कुशल पंखे लगाए जाना (प्रत्येक घर में एक पंखा बदला जाएगा)

नक्ष्य

मनुमानित लागत

एलईडी बल्ब की लागत: ₹ 36,120 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत: ₹ 1,13,520 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: आवश्यकता के अनुसार

एलईडी बल्ब की लागत: आवश्यकता के अनुसार एलईडी ट्यूबलाइट्स की लागत: आव-श्यकता के अनुसार ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹5,72,760 कुल लागत: ₹ 5,72,760 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: आवश्यक-ता के अनुसार



सोलर स्ट्रीट लाइट

कुल लागत: ₹ 1,49,640

चरण

ाटे गतिविधियाँ

т

2024-25 से 2026-27

सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना⁵³ H

2027-28 से 2029-30

सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना Ш

2030-31 से 2034-35

नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइटें लगाना

ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार प्रमुख स्थानों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, जल निकायों) पर हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना

या

ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार सड़कों और मार्गों के किनारे सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना

- आवश्यकतानुसार प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना
- आवश्यकतानुसार सड़कों और मार्गों के किनारे अतिरिक्त सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना

नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइटें लगाना

लक्ष्य

अनुमानित लागत

- 1 हाई मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट की लागत: ₹50,000
- 1 एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट की लागत: ₹10,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁵⁴ निम्नलिखित प्रदान करती है:
 - आवासीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा की स्थापना पर सब्सिडी: एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ₹ 15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹ 30,000/- प्रति उपभोक्ता तक
 - स्वयं के द्वारा रेस्को⁵ मोड में संस्थानों में या यूपीनेडा के परामर्श के साथ संयंत्र की 3 प्रतिशत लागत के परामर्श शुल्क के साथ सौर ऊर्जा की स्थापना के प्रावधान
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के माध्यम से MNRE द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
 - 3 किलोवाट क्षमता तक के RTS सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक सीएफए दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले आरटीएस (RTS) सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत का सीएफए केवल पहले 3 किलोवाट की क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक ही होगा।
 - ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सीएफए आम सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस संयंत्र की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत तक सीमित है। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित है और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
 - गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत किये किए जा सकते हैं। 56 यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% तथा 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% सीएफए प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए ₹30,000, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए ₹60,000 और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए ₹78,000 की सब्सिडी होगी।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना निम्नलिखित प्रदान करती है:
 - प्रधानमंत्री कुसुम योजना का घटक A, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने को बढ़ावा देती है।
 - प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक B और C के तहत, केंद्र और राज्य सरकार प्रति पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किश्तों में किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना में उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान:
 - घटक C -1 के तहत: किसानों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है
 - घटक C-2 के तहत: एमएनआरई की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा ₹50 लाख प्रति मेगावाट की वाईएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान करके अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन
- ग्राम पंचायतों⁵⁷ में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग की परियोजनाएं:
 - EESL पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को अपनी स्वयं की लागत पर एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलता है और 7 वर्षों तक एलईडी बल्बों को मुफ्त बदलता है और रखरखाव करता है।
 - अटल ज्योति योजना और MNRE सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम 12 वाट एलईडी और 3 दिनों की बैटरी बैक-अप के साथ सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं।
- ग्राम उजाला योजना⁵⁸:
 - ₹10 प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध हैं।

⁵⁴ https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf

⁵⁵ तृतीय पक्ष (RESCO मोड) {नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी}

⁵⁶ https://pmsuryaghar.gov.in/

⁵⁵ र्इंड्एसएल (EESL) द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम। लिंक 58 ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित करती है (फरवरी 2023), PIB)। लिंक

- » ग्रामीण ग्राहकों को काम कर रहे इन्कन्डेसन्ट बल्बों के बदले में तीन साल की वारंटी के साथ 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगें।
- कोल्ड स्टोरेज सेट-अप के लिए सब्सिडी:
 - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
 - कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) एकीकृत बागवानी के लिए विकास मिशन (MIDH) कार्यान्वित कर रहा
 है।
 - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) बागवानी के उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी "नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है
 - » प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक 35 प्रतिशत की दर से अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसे गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला⁵⁹ के साथ बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण हेतु प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ-साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमित देती है।
- EESL कार्बन फाइनेंसिंग का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुिंकंग सलूशन के लिए बाज़ार आधारित हस्तक्षेपों को शुरू करने की योजना बना रहा है।
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
 - » SBM-G के अंतर्गत गोबरधन योजना 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रति जिला ₹50.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।⁶⁰
- उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति 2022⁶¹ गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त CBG संयंत्रों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
 - » कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर ₹75 लाख प्रति टन से अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रभारित विकास शुल्क पर छूट
 - » स्टांप ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट।
- MNRE ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अम्ब्रेला के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (WTE) कार्यक्रम लागू किया है:
 - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 m³/दिन है⁶²।

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद हेतु ऋण के लिए स्थानीय बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ संबंध का पता लगाना।
- एग्रो-फोटोवोल्टिक के लिए सोलर डेवलपर्स के साथ साझेदारों का पता लगाना।
- सीएसआर निधियों का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम हेतु सब्सिडी के अतिरिक्त सोलर रूफटॉप/एग्रो-फोटोवोल्टिक्स/सोलर पंप की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत सुरक्षित करना
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी के सदस्यों को "संचालन एवं रखरखाव" का प्रशिक्षण प्रदान करना।

⁵⁹ यानी फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन करना, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान वाला कोल्ड स्टोरेज, CA स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, IQF, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग यूनिट्स

⁶⁰ https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883926

⁶¹ https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/

⁶² https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067

• रूफटॉप सोलर (उत्तर प्रदेश सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (प्रधानमंत्री-कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान का आयोजन करना।

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग



6. सतत और उन्नत गतिशीलता

संदर्भ और मुद्दे 63

- यादव पट्टी ग्राम पंचायत में कुल 275 आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाले वाहन हैं; 262 दोपहिया वाहन, 7 कार, 4 ऑटोरिक्शा और 7 जीप । इसके अतिरिक्त, 5 ट्रैक्टर हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत में 15 ई-रिक्शा हैं⁶⁴।
- ICE वाहनों द्वारा प्रतिवर्ष कुल ईंधन खपत लगभग 176 किलोलीटर(kL) पेट्रोल और 13 किलोलीटर(kL) डीजल है । कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत होने वाले ईंधन से 2022 में \sim 448 टन $\mathrm{CO_{2}e}$ उत्सर्जन हुआ ।
- इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा के दौरान समुदाय द्वारा मुख्य सड़कों के साथ-साथ आंतरिक सड़कों/मार्गों की खराब स्थिति और पहुंच पर प्रकाश डाला गया।

इसलिए, परिवहन अवसंरचना को बेहतर बनाने और ई-मोबिलिटी समाधानों की ओर बदलाव शुरू करने की गुंजाइश है।



🎮 सड़क के बनियादी ढांचे को बढ़ाना

	र राञ्चर वर बुरिंगवादा छाच वर्ग वर्जाना				
चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35		
प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	सड़क निर्माण, आरसीसी/इंटरलॉकिंग और ग्राम पंचायत में पहुंच और गतिशीलता में सुधार के लिए आवश्यक कोई अन्य मरम्मत कार्य	सड़क का नियमित रखरखाव आवश्यकतानुसार बुनियादी ढांचा और मरम्मत	सड़क का नियमित रखरखाव आवश्यकतानुसार बुनियादी ढांचा और मरम्मत		
	1. 300 मीटर का सड़क निर्माण	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार		

- 2. ~1.4 किमी सड़क का आरसीसी का काम
- 3. ~1.75 किमी की सडकों की इंटरलॉकिंग

⁶³ जैसा कि फ़ील्ड सर्वेक्षण और FGD के दौरान समुदाय से समझा जाता है 64 फ़ील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

1. सड़क निर्माण: ₹19,40,000

- 2. आरसीसी का काम: ₹64,50,000
- सड़क की इंटरलॉकिंग का काम: ₹98,50,000

कुल लागत: ₹1,82,40,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार



इलेक्ट्रिक माल परिवहन वाहन और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा

चरण

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट

2024-25 से 2026-27

- 1. डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढावा देना
- 2. उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/ लॉजिस्टिक्स मालिकों/उद्यमियों) को आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाना (आजीविका संवर्द्धन अनुभाग में बताया गया)

 Π

2027-28 से 2029-30

आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।

III

2030-31 से 2034-35

आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।

लक्ष्य

कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक का क्रय किया जाना

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना

- 1. 5 ई-ट्रैक्टरों की कुल लागत: ₹30,00,000
- 2. 5 ई-वाणिज्यिक वाहनों की कुल लागत: ₹25,00,000 -₹50,00,000

कुल लागत: ₹55,00,000 -₹80,00,000



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन

٠	_
	5
ł	5
ı	_
	þ

ומוממו

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

Ш

2030-31 से 2034-35

ग्राम पंचायत में ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना। अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अधिक ई-ऑटोरिक्शा शुरू करना मांग के आधार पर अधिक ई-ऑटोरिक्शा की खरीद

लक्ष्य

4 ई-ऑटोरिक्शा ग्राम पंचायत के बेड़े में शामिल बेड़े में अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा को क्रय किया जाना (आवश्यकतानुसार) बेड़े में अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा को क्रय किया जाना (आवश्यकतानुसार)

नुमानित लागत

एक ई-ऑटोरिक्शा की कीमत⁶⁵: लगभग ₹3,00,000

> उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 प्रति वाहन

>4 ई-ऑटो रिक्शा की प्रभावी लागत:

₹11,52,000 GHG उत्सर्जन में कमी⁶⁶: 7tCO₃e आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और MGNREGS की सहायता से सड़क के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और उसमें सुधार किया जा सकता है
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 में प्रावधान है
 - 1. खरीदारों के लिए 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
 - 2. 1 साल की अविध में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन⁶⁷ के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹ 1,00,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत; 2-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत; 3-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹12,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत।
- ई-रिक्शों के लिए सब्सिडी का लाभ फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चिरंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज II (फेम II) स्कीम के तहत भी लिया जा सकता है

⁶⁵ ई-ऑटोरिक्शा की कीमत ₹1,50,000 से ₹4,00,000 या इससे अधिक तक होती है, जो अन्य चीजों के अलावा कॉन्फ़िगरेशन, बैटरी के प्रकार आदि पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से परोपकारी संस्थाओं और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान/प्रारंभिक पूंजी/व्यवहार्यता गैप फंडिंग को ध्यान में रखा जाता है।

⁶⁶ समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि प्रति ऑटोरिक्शा 1.8 tCO₂e ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जेन को कम किया जा सका। डीजल ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलने से उत्सर्जन में कमी आएगी और ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनाने यहां तक कि कार्बन नेगेटिव बनाने में सहायता करेगा।

⁶⁷ सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के संदर्भ में आवधिक परिवर्तन किये जा सकते हैं। इसलिए, इस योजना के किसी भी हिस्से में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक हैं, और खरीद के समय इसकी पृष्टि की जानी चाहिए

वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और OSR
- सीएसआर के समर्थन से बैंकों एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों से ऋण।

प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)



7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

संदर्भ और मुद्दे68

कृषि ग्राम पंचायत का मुख्य आधार है, जिसमें लगभग 54 प्रतिशत परिवार लगे हुए हैं। यह क्षेत्र बदलती जलवायु के प्रभावों जैसे लगातार खराब मौसम की घटनाओं, अनियमित वर्षा आदि के प्रति संवेदनशील है। जलवायु संबंधी प्रभावों के साथ-साथ असंवहनीय कृषि पद्धतियों के कारण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आजीविका के मामले में अनिश्चितता में जी रहा है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत गैर-कृषि मजदूरी और पशुपालन हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 50 परिवार बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

बताई गई गतिविधियों के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत के भीतर रोज़गार के अवसर सीमित हैं। इस कार्ययोजना में बताए गए सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए दिशा प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:



सतत उत्पादों के विनिर्माण में पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना

स्तावित क्लाइमेट सार्ट गतिविधियाँ

- 1. सतत उत्पादों (बैग, घर के सजावटी सामान, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना।)
- 2. निम्न के लिए क्षमता निर्माण:
 - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

1. प्रारंभिक सहभागिता में:

- » 100 महिलाएं
- » 2 एसएचजी (वर्तमान में सिलाई गतिविधियों में शामिल)
- » स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करना
- 2. इस ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:
 - » अतिरिक्त 200 महिलाएं
 - » अतिरिक्त एसएचजी, MSME और व्यक्तिगत उद्यमी
- ...

नक्ष्य



जैविक कचरे से खाद बनाना और उसे उर्वरक के रूप में बेचना

स्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

- 1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच भागीदारी मॉडल
- 2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों की क्षमता निर्माण
 - » कंपोस्टिंग और वर्मी-कंपोस्टिंग तकनीक
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

नक्ष्य

तत्काल लक्ष्य:

घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न खाद: प्रति दिन 133 किलोग्राम; प्रति माह 4,000 किलोग्राम (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

पस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

- 1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर को व्यवसायिक रूप से किराए पर लेना (किराये के आधार पर) उत्तर प्रदेश EV नीति 2022 और फेम-इंडिया स्कीम फेज- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करता है।
- 2. ई-ट्रैक्टरों एवं ई-गुड्स कैरियर्स के इस्तेमाल के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक स्वामियों) को संवेदनशील बनाना

तत्काल लक्ष्य:

नक्ष्य

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)

2. 2 या 3 ईवी मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक (मिनी गुड्स ईवी ट्रांसपोर्ट ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग₹ 9.2 लाख)

मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद

(नोट: यह माना गया है कि बारा में आमतौर पर 35 एचपी ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता है जिसकी लागत लगभग ₹6 लाख रुपये है)

सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

ास्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

- फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर
- 2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी सिमतियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/गठजोड

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना

लागत: लगभग ₹8,00,000 से ₹15,00,000

(ग्राम पंचायत आय में वृद्धि करने के लिए सीमा के भीतर आम के बागों का लाभ उठा सकती है)



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

ास्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ


- 1. विकास के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन और प्राकृतिक औषधियों एवं अनुपूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन का रखरखाव
- 2. कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी

लक्ष्य

लगभग 0.2 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में स्थापित किया जाना



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सोलर और बायो-गैस) का संचालन एवं रख-रखाव



- 1. नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
- 2. ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की कौशल योजनाओं से सहायता।

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को हरित उद्यमिता और आजीविका (विभिन्न ऋण योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से) का समर्थन करने के लिए संवेदनशील बनाना। सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना, आदि महिला उद्यमियों का समर्थन कर सकती हैं।
- आवश्यक कौशल विकास सहायक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जैसे: मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम।

विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूलन क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण: 69,70,71

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में सतत डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरो में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए ।
- घरो में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए ।
- घरो में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरो में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपिरक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाईट आदि को कम करना) ।
- घरो में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए ।
- हिरत जल निकाय और डिज़ाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) ।

"स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच"

⁶⁹ https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

 $^{70 \}quad https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521$

⁷¹ https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁷², थार रेगिस्तान, राजस्थान का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़िकयों के लिए निर्माण किया गया हैं जिसमे प्रमुख रूप से निम्लिखित उपायो का उपयोग किया गया है:

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करतीं हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकतीं हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया हैं।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁷³:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता हैं।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई ।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जररूत को पूरा किया जाता हैं (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर) ।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियाँस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुन: उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र74:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियॉस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समृदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया ।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता सिमिति को सक्षम बनाया गया ।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

⁷² https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects

⁷³ https://peda.gov.in/solar-passive-complex

⁷⁴ https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं I इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनलो लगाना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं I यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जररूत को पूरा करतें हैं जैसे की चारे की तैयारी और शेड संचालन करने में ऊर्जा की ज़रुरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्त्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद का सकते हैं।

यह गतिविधि संस्त्रुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, बठिंडा और तरनतारन, पंजाब^{75,76}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं।

निर्मल गुजरात अभियान

- गुजरात के हिम्मतनगर में पशु छात्रावास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक **"अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी**)⁷⁸" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

-

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतों पर पेंट किया गया ।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 5°C कम पाया गया ।

"स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच"

⁷⁵ https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system

⁷⁶ https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf

⁷⁷ https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/

⁷⁸ https://www.myscheme.gov.in/schemes/csssscspscc

⁷⁹ https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-एलईडी-initiatives-four-indian-cities

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ़ीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण

- इन सम्पूरको के उपयोग से आंत्रीय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁸⁰।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹ 6 प्रित किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रॉक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में 81

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना ।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

⁸⁰ भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charitdhara%E2%80%9D

⁸¹ https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁸²

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी ।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी ख़रीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती
 है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें ।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें ।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफ्फिसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्य योजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁸³

स्वयं शिशान प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया
 गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु
 परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सिहण्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा ।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

⁸² https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/

⁸³ https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁸⁴

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाज़ार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में⁸⁵

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है ।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बिनक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है ।

51

⁸⁴ https://alliancebioversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india

⁸⁵ https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf



अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव

सतत कृषि

प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट गतिविधियां

a. जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती



b. प्राकृतिक खेती अपनाना



c. सतत पशुधन प्रबंधन



अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ

- कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार
- रासायनिक आदाानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार
- कृषि जल सुरक्षा में सुधार
- शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई
- वायु गुणवत्ता में सुधर हुआ और उत्सर्जन में कमी आई

एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया⁸⁶

एसडीजी 2: शून्य भूख़

- लक्ष्य 2.3
- लक्ष्य 2.4
 - लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता

- लक्ष्य 6.4
- लक्ष्य 13.1

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही

- लक्ष्य 13.2
- लक्ष्य 13.3







जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट गतिविधियां

जल निकायों का कायाकल्प
 और संरक्षण



अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ

- प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढाता है
- बेहतर भूजल पुनर्भरण
- पानी की गुणवत्ता में वृद्धि
- सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढना
- कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार
- स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा

एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता

- लक्ष्य 6.1
- लक्ष्य 6.3
- लक्ष्य 6.4
- लक्ष्य 6.5

एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय

लक्ष्य 11.4



b. जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना



तर्षा जल संचयन (आरड-ब्ल्यूएच) संरचनाएं



एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना

लक्ष्य 12.2

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही

- लक्ष्य 13.1
- लक्ष्य 13.2

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन

- लक्ष्य 15.1
- लक्ष्य 15.5







हरित स्थानों और जैवविविधता को बढाना

प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
a. हरित आवरण में सुधार	 जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी 	एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय
b. नर्सरी की स्थापना	 औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) 	सुनिश्चित करना
c. जन जैवविविधता रजिस्टर	 पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	एसडीजी 15: भूमि पर जीवन • लक्ष्य 15.1 13 व्यापा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्ष

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट अनुकूलन क्षमता और गतिविधियां किया गया सह-लाभ a. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की जलभराव में कमी एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और ख़ुशहाली स्थापना जल और भूमि प्रदूषण में कमी/बेहतर लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी लक्ष्य 6.3 की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य लक्ष्य 6.8 और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण एसडीजी 8: सभ्य कार्य और b. जैविक अपशिष्ट का सतत आजीविका और आय सृजन आर्थिक विकास प्रबंधन राजस्व और लाभ सृजन लक्ष्य 8.3 सतत कृषि के लिए उन्नत आदान एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचा को प्रोत्साहन देना लक्ष्य 9.1 एसडीजी 12: सतत उपभोग और c. एकल उपयोग प्लास्टिक पर उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना प्रतिबंध लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 एसडीजी 13: जलवायु संबंधी d. स्वच्छता बुनियादी ढांचे को कार्यवाही 13 CLIMATE ACTION बढ़ाना लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 एसडीजी 15: भूमि पर जीवन

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
a. सोलर रूफटॉप की स्थापना	ऊर्जा सुरक्षाउष्ण आरामआजीविका के उन्नत विकल्प	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता लक्ष्य 6.4
b. कृषि-फोटोवोल्टिक		

लक्ष्य 15.1

c. सोलर पंप



d. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग



e. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर



f. सोलर स्ट्रीट लाइटें



- अतिरिक्त राजस्व सृजन
- उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है
- विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी
- चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ
- घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी
- सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार
- ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है
- आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि

एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा

- लक्ष्य 7.1
- लक्ष्य 7.2
- लक्ष्य 7.3
- लक्ष्य 7.a
- लक्ष्य 7.b

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा

लक्ष्य 9.1

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही

- लक्ष्य 13.2
- लक्ष्य 13.3









सतत और उन्नत गतिशीलता

प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट गतिविधियां

a. सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना



b. इलेक्ट्रिक माल परिवहन वाहन और ई-ट्रैक्टर



c. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन



अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ

- स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार
- जोखिम वाले और कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुंच
- अतिरिक्त राजस्व सृजन
- वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि
- जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपान में सुधार

एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया

एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा


■ लक्ष्य 7.2

एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय

• लक्ष्य 11.2

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा

लक्ष्य 9.1



- लक्ष्य 13.2
- लक्ष्य 13.3









आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

प्रस्तावित जलवायु स्मार्ट गतिविधियां

 सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना



b. जैविक कचरे को खाद बनाकर उसे उर्वरक के रूप में बेचना



c. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा



d. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार



e. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन



f. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सोलर और बायो-गैस) का संचालन एवं रखरखाव



अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ

- स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प
- जल और भूमि प्रदूषण में कमी
- सतत कृषि के लिए उन्नत आदान
- 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण
- औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा
- कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन
- जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार
- स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार
- वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि

एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया

एसडीजी 5: लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़िकयों का सशक्तिकरण

लक्ष्य 5.5

एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास


लक्ष्य 8.3

एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना

- लक्ष्य 12.2
- लक्ष्य 12.4
- लक्ष्य 12.5
- लक्ष्य 12.8

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही

- लक्ष्य 13.1
- लक्ष्य 13.2
- लक्ष्य 13.3





आगे की राह

कार्यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव से यादव पट्टी के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधर करेंगी। यादव पट्टी के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर यादव पट्टी को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयनकार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, यादव पट्टी जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के क्रियान्वयनकार्यान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही यादव पट्टी को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

9

अनुलग्नक

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के अंतर्गत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया⁸⁷। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

यादव पट्टी के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁸⁸ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रूप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक ज़ीरोशून्य कार्बन/कार्बन न्यूट्रलतटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्घ्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़ील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों
 और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि

⁸⁷ उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गुई।

⁸⁸ इस आलेख में मुख्य क्लाइमेंट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सिम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

- जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।
- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया
 गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
 - 1. क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - 2. ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - 3. यादव पट्टी ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गितविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गईं पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: प्रश्नावली









उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत :- यादवपट्टी विकासखण्ड :- कुण्डा जनपद :- प्रतापगढ़

गाँव की रुपरेखा

		विवरण	संख्या (सूचना का म्रोत- समुदाय के सदस्य)
	1	राजस्व गाँव की संख्या	4
	2	टोलों की संख्या	8
	а	कुल जनसंख्या	2868
	b	कुल पुरुषों की जनसंख्या	1570
3	С	कुल महिलाओं की जनसंख्या	1298
3	d	विकलांगजनों की जनसंख्या	14
	e	कुल बच्चों की जनसंख्या	489
	f	वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	286
4		कुल परिवार की संख्या	516
	а	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	40
5		कुल भोगौलिक क्षेत्रफल	234.388 Hct
6	а	साक्षरता दर	86%
7	а	पक्का घरों की संख्या	451
	b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	65 (मिट्टी व खपरैल से बने घर)



















II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवर परिवार	न कृषि (प्रकार) पर आश्रित		कुल परिव	ारों की संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की	भूमि	502		
	किराए की भूमि (हुण्र	डा)	Nil		
	अनुबंध खेती		Nil		
	दिहाड़ी मजदूर		157		
	अन्य व्यवस्था (रेहन,	अधिया आदि)	12		
		कारी (एक से अधिक कृषि परिवार, उल्लेख करें)	6		
9	ग्राम पंचायत में आय			कुल परिव	ारों की संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरणः आदि)	अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी	45		
	कुटीर उद्योग		85		
	कृषि		474		
	कला / हस्तकला		Nil		
	पशुपालन		80		
	व्यवसाय (स्थानीय दु	कान)	21		
	व्यवसाय / उद्यम		Nil		
	दैनिक / दिहाड़ी मज	दूर (अकृषिगत)	164		
	अन्य		5		
10	पलायन			हां	न्हीं
а	पलायन किया है?	ं में आप के ग्राम पंचायत से ग्राग		हां	
b	पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन कर परिवार/ व्यक्तिगत की संख्या	ने वाले		पलायन के मुख्य कारण
	अन्य गांव	0			रोजगार/व्यवसाय की तलाश
	निकट के शहर	12			**
	राज्य के प्रमुख शहर	24			11
	देश के प्रमुख				
	महानगर	50		हां	'' नहीं
С	क्या पिछले पांच वर्षो परिवार / व्यक्ति ने प्र	ं में आप के ग्राम पंचायत में वास किए है?		δi	नहीं











_				
	d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	Nil	

1	1	महिलाओं की स्थिति	
	а	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत– महिला)	78
	b	खेती में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
		निजी भूमि / स्वयं की भूमि	20
		किराए की भूमि / हुण्डा	Nil
		अनुबंध खेती	Nil
		दिहाड़ी/दैनिक मजदूर	18
		अन्य व्यवस्था	Nil
		अन्य सूचनाएं / जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	(अधिकांश महिलाएं कृषि के साथ बागवानी का भी कार्य करती हैं)
	С	नौकरी / अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
		सेवा क्षेत्र (उदाहरणः अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	7
		कुटीर उद्योग	Nil
		कृषि	19
		कला / हस्तकला	Nil
		पशुपालन	03
		व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	04
		दैनिक / दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	07
		अन्य	0











12	स्वयं सहायता समूहों									
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (रु०)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव					
	देवा स्वयं सहायता									
	समूह	10	सिलाई	2360	हां					
	अम्बेडकर स्वयं									
	सहायता समूह	10	सिलाई	3250	हां					

13	कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०)										
		संगठन की	में सदस्यों की		कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां / गतिविधियों का क्षेत्र					
	Nil										
	Nil										
	Nil										
	Nil										
	Nil										











14	अन्य समुदाय आधारितसंगठन/									
	सामाजिक संगठन/ समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन / समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व / बचत	उत्पाद / सेवा	विपणन / लक्षित उपभोगकर्ता				
	Nil									
	Nil									
	Nil									
	Nil									
	Nil									
	Nil									
	Nil									
	Nil									

15		योजनाएं					
	Α	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	पंचायत में प्राप्त	अन्य कोई बकाया	की गई गतिविधियाँ / कार्य
			(1041	प्रा राज्या	(स्र्0)	(रू0)	
		मनरेगा					खडंजा,मिट्टी
							कार्य,नाली,नाला एवं
			217	93	1009800.00	0	इंटरलाकिंग
		प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	452	152			5kg प्रति लाभार्थी
		प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	153	153			गैस,चूल्हा,सिलेंडर
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	2	2			विद्युत आधारित
		प्रधान मंत्री कुसुम योजना	Nil	-			
	В	अन्य योजनाएं					
		ग्राम उज्जवला योजना		-			
			20	15			
		ऊर्जा दक्षता योजना	Nil	-			











प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	Nil	-		
प्रधानमंत्री आवास योजना	19	19	2280000	आवास बना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०)	452	452		5kgप्रति व्यक्ति
कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	Nil			
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	Nil			
राष्ट्रीय कौशल विकास योज (RKVY)	ाना Nil			
मौसम आधारित फसल बीमा	Nil			
प्रधानमंत्री फसल बीमा योज (PMFBY)	ना 22			
मृदा स्वास्थ्य कार्ड	20			
किसान क्रेडिट कार्ड	130			
स्वच्छ भारत मिशन	286	286	3432000	शौचालय बना है
सौर सिंचाई पम्प योजना	1	1	84000	स्पिन्कलर सेट
नई / नवीन भारतीय बायोगैर व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	liN F			
विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	Nil			
गोवर्धन योजना	Nil			
जल पुनर्भरण योजना	Nil			
रेनवाटर हार्वेस्टिंग	1	1		प्राथमिक विद्यालय
समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	Nil			
अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	Nil			
अन्य (एक जिला–एक उत्पा मेक इन इण्डिया, अन्य)	द, Nil			
उद्यमितता सहायतित योजन आदि	πġ NiI			











	16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	1780
r		ई—बैंकिंग / डिजीटल भुगतान एप / यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	310

.8	निकट कृषि बाजार / क्रय केन्द्र / सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार / क्य केन्द्र का उपयोग होता है		यदि नहीं, तो बाजार / केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल(कु 0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं				
	क्रय केंद्र कुंडा	हाँ		गेहूं	2259	90	15Km
	117	√□		धान	2811	118	15 Km

19		शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)					
		प्रकार / स्त र	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)		विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आऊट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच ∕ उपलब्धता—(2), आर्थिक समस्या—(3), अन्य— (4) उल्लेख करें)	
	Α	प्राथमिक विद्यालय	2000	91	0	-	
	В	जू० हाई स्कूल	Nil	Nil	-		











С	हाई स्कूल	Nil	Nil	-	-
D	अन्य संस्थान	Nil	Nil	-	-
					-

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	Nil				

21	राज्य / राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता					
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	-	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)		
	प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग	1	3Km	1		











III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
A	वन का क्षेत्र	Nil
В	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	Nil
С	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	Nil
D	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	Nil
E	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	Nil
F	अनुमानित वन उन्मूलन / वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	Nil

2	3	अन्य भूमि का वर्गीकरण			
	Α	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	0.746 हे0		
	В	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	1.6(एकड़)		
	С	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां	नहीं	आच्छादित क्षेत्रफल
				√□	
		खनन के प्रकार			
		बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	Nil		
		अतिरिक्त सूचनाएं	Nil		

24	जल निकाय क्षेत्र		
	विवरण	हां	नहीं
а	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र \$2	VΠ	П









$\overline{}$	_			
	b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की		
		संख्या	5	5
	С	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?		٧
	d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	Nil	
	е	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	Nil	

2!	<u> </u>	जल आपूर्ति	
	_		
	а	ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है?	
		नहर (1)	
		वर्षा जल—(2)	
		भूमिगत जल—(3)	3
		तालाब / झील–(4)	
		अन्य– (5)	
	b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या	•
		बारहमासी है?	बारहमासी
	С	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है?	
		पाइप जलापूर्ति (1)	
		ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2)	
		पानी टंकी (3)	
		महिलाओं / बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4)	
		ਫੈ ਾਤਧਾਧ (5)	5
		ऊँचा सतही जलाशय (6)	
		कूंआ (7)	7
		अन्य (8), उल्लेखित करें।	
		अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	
	d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	Nil
	е	क्या पानी का बहाव / प्रवाह दर कम, अधिक या	
		संतोषजनक है?	Nil
	f	पइप जलापूर्ति की नियमितता	
		24× ७ घण्टे(1)	hed.
			Nil









	काफी नियमित (2)	
	अनियमित (3)	
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति	
	का मुख्य स्रोत क्या है?	
	नहर (1)	1
	वर्षा जल (2)	2
	भूमिगत जल — (नलकूप (3A), कूआ (3B)	3A
	तालाब / झील (4)	
	पानी टैंक (5)	
	नदी (6)	
	अन्य (7)	
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या	_
	बारहमासी है?	बारहमासी
i	क्या जलापूर्ति का बहाव / प्रवाह दर कम / अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक
	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू,	
	कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के	सामान्य है।
	लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है)	
j	क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल	घटी है
	की उपलब्धता बढ़ी / घटी या सूख गया?	
	क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की	गर्मी के मौसम में पानी का उपयोग बढ़ जाता है
	टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	·









IV. <u>जलवायु की धारणा</u>

	तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन / बदलाव					
2	26					
П	а	गर्मी के माह में देखा गया	तापमान के कारण जत	त्रवायु परिवर्तन		
	b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
		[4]	٧			
	С	दिनों की संख्या	15 - 18 दिन			
	d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	Nil			
2	27					
	а	सर्दी के माह में महसूस किया गया	क्म दिनों में तेज ठण्ड			
	b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
		0 % 0		٧		
	С	दिनों की संख्या		20 - 28 दिन		
	d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	Nil			
2	28					
	а	मानसून माह में महसूस किया गया	तापमान वृद्धिके कारण			
	b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी v	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
	С	दिनों की संख्या		20 - 26 दिन		
	d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	Nil			
2	29					
	а	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
	b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
	J			√		
	С	दिनों की संख्या		5-6 दिन		
	d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
				٧□		









е	दिनों की संख्या	4-5 दिन	
f	अन्य सूचनाए / जानकारी	Nil	









	चरम मौसम की घटनाएं							
30)	सूखा						
	Α	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)	
	В	किस माह में सूखा देखा गया					□V जून–जुलाई	
	С	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर कुछ नहीं करत			कृषि स्तर पर प्र अतिरिक्त सिंचा		
	D	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि □∨	क्मी □	कोई परिवर्तन नहीं □			
		अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना—1, स्वास्थ्य पर प्रभाव—2	यादव पट्टी ग्रा		1965, 1971	 व 2018 में सूख	ा की घटना	
31		बाढ़						
		बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022) □	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)	
	b	किस माह में बाढ़ देखा गया	Nil	Ш				
	С	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)						
	d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	क्मी	कोई परिवर्तन नहीं			
				□√				
		अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना—1, स्वास्थ्य पर प्रभाव—2	1980 में बाढ _़	आयी थी जिसर	में कृषि पर प्रभ	ाव पड़ा था।		
32		भूस्खलन						
	а	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022) □	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018) □	
	b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	Nil					
	С	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)						
	d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	क्मी	कोई परिवर्तन नहीं			
					□V			









		0.0			1	1	
	е	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी					
		प्रमुख घटना—1, स्वास्थ्य पर	Nil				
		प्रभाव-2					
3	3	ओलावृष्टि					
		ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
	_	जाराभ्यान्य प्राप्त प्राप्त	(2022)	(2021)	(2020)	(2019)	
	а		` ,	, ,		` ,	(2018)
						V□	
	b	किस माह में ओलावृष्टि हुई				फरवरी में	
		ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया	निजी सहायत	से प्रबन्धन	l .		
	_	गया (सरकारी सहायता, निजी	I Toll (IGI4(I	1 (1 /4 4 1			
	۲	सहायता आदि)	कुछ नहीं कर	4 4			
		,	•				
	d	ओलावृष्टि की आवृत्ति :	वृद्धि	क्मी	कोई परिवर्तन		
	u	ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच			नहीं		
		वर्षों में)		√□			
2	4	फसलों के कीट/बीमारी					
3	_	· ·	2 2	2 2 2	2	2_ 2	c
		कीट / बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
	а		(2022)	(2021)	(2020)	(2019)	(2018)
			□V	□V			
		किस माह में कीट/बीमारी को		~	_		0
1				सितम्बर,	सितम्बर,	सितम्बर, दिसम्बर,	सितम्बर,
		देखा गया?	सितम्बर,	सितम्बर, दिसम्बर,	सितम्बर, अक्टूबर,	सितम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी,	सितम्बर, दिसम्बर, जनवरी,
	b		,	दिसम्बर,	अक्टूबर,	जनवरी, फरवरी,	दिसम्बर, जनवरी,
	b		सितम्बर, फरवरी, मार्च,	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी,	अक्टूबर, दिसम्बर,		
	b		,	दिसम्बर,	अक्टूबर,	जनवरी, फरवरी,	दिसम्बर, जनवरी,
	b		फरवरी, मार्च,	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी,	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी,	जनवरी, फरवरी,	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
	b	देखा गया?	फरवरी, मार्च, अगस्त,	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त,	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त,	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त,	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त,
	b	देखा गया? किस प्रकार के टिड्डी	फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी
	b	देखा गया?	फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेर्राई	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरुई	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरुई
		देखा गया? किस प्रकार के टिड्डी	फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी
	b	देखा गया? किस प्रकार के टिड्डी	फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट),	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट),	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट),	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट),	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट),
		देखा गया? किस प्रकार के टिड्डी	फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,
		देखा गया? किस प्रकार के टिड्डी	फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट),	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट),	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट),	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट),	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट),
		देखा गया? किस प्रकार के टिड्डी कीट / बीमारी को देखा गया?	फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,
	С	देखा गया? किस प्रकार के टिड्डी कीट / बीमारी को देखा गया? कीट / बीमारी का प्रबन्धन कैसे	फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,
	С	देखा गया? किस प्रकार के टिड्डी कीट / बीमारी को देखा गया? कीट / बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता,	फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,
	С	वेखा गया? किस प्रकार के टिड्डी कीट / बीमारी को देखा गया? कीट / बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,
	c	देखा गया? किस प्रकार के टिड्डी कीट / बीमारी को देखा गया? कीट / बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि) कीट / बीमारी की आवृत्ति : कीट	फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक कर खेतों में प्र	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,
	С	देखा गया? किस प्रकार के टिड्डी कीट / बीमारी को देखा गया? कीट / बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि) कीट / बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच	फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,
	c	देखा गया? किस प्रकार के टिड्डी कीट / बीमारी को देखा गया? कीट / बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि) कीट / बीमारी की आवृत्ति : कीट	फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक कर खेतों में प्र	जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, फलछेदक	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, माहो, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा,

35	ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी		
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन / तैयारी के उपाय उपलब्ध है?	क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?











आपदा तैयारी के उपाय	ळां	नहीं	हां	नहीं
ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना		□√		
ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति		√□		
पूर्व चेतावनी प्रणाली / मौसमी चेतावनी प्रणाली / कृषि चेतावनी प्रणाली		□v		
आपातकाल अनाज बैंक		□√		
अन्य		√□		

3	6	अनाज भण्डारण				
	а	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाह	प्र/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?			
		अनाज (विवरण दें)	Nil			
		त्त	Nil			
		चेनी	Nil			
		अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	Nil			
	b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	Nil			

37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, जानकारी के स्रोत	पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध
	स्थानीय कृषि अधिकारी	V
	समाचार पत्र / समाचार / रेडियो	٧
	मोबाईल फोन / एप	٧
	मौखिक	NIL
	कृषि विज्ञान केन्द्र / कृषि ज्ञान केन्द्र	٧
	पशुपालन विभाग	Nil
	उद्यान विभाग	Nil
	अन्य	Nil

	कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)
38	फसल हानि











а	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी (2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम– गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरुप आय में हानि (औसत रु0)
	प्रथम वर्ष (2022)	खरीफ (1)	धान	रस्ट रोग	100	140000
	द्वितीय वर्ष (2021)	खरीफ (1)	धान	रस्ट रोग	70	28000
	तृतीय वर्ष (2020)					
	चतुर्थ वर्ष (2019)					
	पंचवां वर्ष (२०१८)					
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
			٧□			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	फसल बीमा का लाभ कृषकों को नहीं मिल पाता है Nil				











3	9	फसल पद्धति में बद	लाव			
	а	सामान्य फसल	खरीफ धान,मक्का,बाजरा	रबी गेहूं,सरसों,मटर,आलू एवं सब्जी	जायद / अन्य ऋ उर्द,मूग एवं सब	^इ तु जी
	b	फसल का नाम		विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है / देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
		धान	जून के अंतिम सप्ताह	जून से जुलाई	जुलाई	वर्षा कम होने के कारण
		गेहूं	नवम्बर	नवम्बर से दिसम्बर	नवम्बर	ठण्ड दिनों में कमी
		सरसों	अक्टूबर	अक्टूबर से नवम्बर	अक्टूबर	
	С	अन्य सूचना / जानकारी (विलुप्त फसल / प्रजाति आदि उल्लेख करें)	मोटे अनाज की फसले	कम बोई ज़ाती है		

4	10	सिंचाई प्रणाली/पद्धति	में परिवर्तन			
	а	फसल का नाम	पद्धति का उपयोगफव्वारा सिंचाई (1), टपक	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया / एकड़)		पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया / एकड़)
		धान	1,2,4,5	2200	1,2,4,5	1400
		गेहूं	1,2,5	1600	1,2,5	900









		ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक	सिंचाई विधियां
	b	संख्या	4	8	-		
	С	अन्य सूचनाएं / जानकारी अगर कोई है	Nil				
4		पशु पालन / पशुधन			I	I	
	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) a मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य— स्पष्ट करें (6)		1 2 3 4 6				
	b		पशु हानि गाय (1) भैंस (1) अन्य (6)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्घि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
		प्रथम वर्ष (2022)	गाय (1) भैंस (1) अन्य (6)	गाय=02 भैस=03 बकरी=14	रोग / शीत लहर	बरसात,सर्दी	2
		द्धितीय वर्ष(2021)	गाय (1) भैंस (1) अन्य (6)	गाय=04 भैस=02 बकरी=18	रोग / शीत लहर	बरसात,सर्दी	2
		तृतीय वर्ष (2020)	गाय (1) भैंस (1) अन्य (6)	गाय=02 भैस=02 बकरी=17	रोग / शीत लहर	बरसात,सर्दी	2
		चतुर्थ वर्ष(2019)	गाय (1) भैंस (1) अन्य (6)	गाय=03 भैस=01 बकरी=18	रोग / शीत लहर	बरसात,सर्दी	2
		पंचम वर्ष(2018))	गाय (1) भैंस (1) अन्य (6)	गाय=01 भैस=01 बकरी=20	रोग / शीत लहर	बरसात,सर्दी	2











	अन्य जानकारी / सूचनाएं					
С	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम/ ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	1	150 चूजे	रोग	बरसात,सर्दी	2
	द्धितीय वर्ष(2021)	1	200 चूजे	रोग	बरसात,सर्दी	2
	तृतीय वर्ष (2020)	1	250 चूजे	रोग	बरसात,सर्दी	_
	चतुर्थ वर्ष(2019)	1	210 चूजे	रोग	बरसात,सर्दी	2
	पंचम वर्ष(2018))	1	200 चूजे	रोग	बरसात,सर्दी	2
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से है)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	Nil				
	द्धितीय वर्ष(2021)	Nil				
	तृतीय वर्ष (2020)	Nil				
	चतुर्थ वर्ष(2019)	Nil				
	पंचम वर्ष(2018)	Nil				
	अन्य जानकारी / सूचनाए ं	Nil				





कृषि व पशुपालन

>





	Į	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है		ር. ሐወ IC
	खरपतवारनाशी	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा / एकड़)	250ML	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते / जागरूक हैं? हां
		खरपतवार नाशीं के प्रकार	2-4D	की योजनाओं _र
	पयोग	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है	1	न अवशेष प्रबन्धन व
दी	कीटनाशक उपयोग	औसत प्रयुक्त मात्रा (किया/ एकड़)	200gm	क्या फसत
व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी	पि	कीटनाशकों के प्रकार	ब्युटाक्लोर, सल्फोस्ल्म्यूरा न, क्लोरोफिरफा स, डायाजीनान	म्ब से जलाना
	ः उपयोग	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	-	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया
जाने वाले फ	उर्वरक	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा०/ एकड़)	40 48 50 60	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये
प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें		उर्वरक के प्रकार	यूरिया डाई NPK कम्पोस्ट	जलाये गये खेतो का कुल क्षेत्रफल (एकड़)
		ਤਪ੍ਯ (कु0) ਸ਼ਹੀ एकड़	12 9 120 65	नहीं □ V
		ऋतु / मौसम	सदी सदी सदी	.□ 교.
		फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	धान गेहें गन्ना हल्दी	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये
42 A				Δ
4				

	1
No.	
	1
A NO I sermit i	1
FOUND HA FOUND ATTION Green says for a good earth	1
	नहीं
p	1
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	-

·
1
1
1
नहीं
1
1








43	43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां	ष्टियां			
	फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रू0 / कुन्तल)	बिकी हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित
	Nil	Nil			
	II.Z	Nil			
	II.V	Nil			
	Nil	Nil			
	Nil	Nil			
	NI.	Nil			

44	अन्य स्थाई खेती र	44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य / जीरो बजट प्राकृतिक खेती)		
	फसल	स्थाई गतिविधियां (शून्य जुताई, मिल्वंग, फसल चक, अर्नःफसलें, वर्मी	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)
		कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धान, जैव पदार्थ में		
		वृद्धि आदि)		
	Nil	Nii	N:I	Nil
	ΞĪ	Ŋ.	- IZ	Nil
	Nil	Nii	N:I	Nil
	N:I	Nil	Nil	Nil
	Nil	Nil	Nil	Nil













46	अपनाये गये स्थार्य	ो पशुधन प्रबन्धन तव	क्रनीक	
	पशुधन के प्रकार	कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त / उत्पादित आय प्रति पशुधन वार्षिक
	गाय (देशी नस्ल)	250	पशुआहार,खुले में चराई	8000 / -
	गाय (संकर नस्ल)	215	पशुआहार,खुले में चराई	7500 / —
	भैंस (देशी नस्ल)	400	पशुआहार,खुले में चराई	13500 / -
	भैंस (संकर नस्ल)	190	पशुआहार,खुले में चराई	8200 / -
	बकरी	1000	खुले में चराई	6000 / -
	सुअर	10	खुले में चराई	5000 / -
	मुर्गी	1500	दाना	250 / — प्रति पशुधन बेचने पर
	मत्स्य	2तालाब	मछली चारा	300 / -
	अन्य	Nil		

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47	जल की गुणवत्ता (पे	यजल या नल	जल से आपूर्ति	परिवार)			
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		\checkmark					
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
				\checkmark			
С	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू / कीच ड़	गन्ध	
					$\sqrt{}$		
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन / फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)









	$\sqrt{\Box}$	$\sqrt{\Box}$		

4	8	ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्र	बन्धन					
	Α	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ / कचरा	सब्जी छिलके ^{आदि}	1 किलो से 2 किलो				
	В	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ / कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	हां					
	С	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	□प्रतिदिन	√साप्ताहिक	□वैकल्पिव	ह दिन		
			हां					
	D	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?		V	ग्राम पंचायत से दूरी / ग्राम पंचा अवस्थिति		2 किमी	
	E	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	√					
	F	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	√		गीला,सूखा			
	G	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुन:चक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
							√	

4	9	खुले में शौच मुक्त स्थिति			
	Α	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	□हां	□नहीं	
	В	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	516		
	С	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	2		प्रमुख स्थान यादवपट्टी,अलीनगर
	D	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?			हाँ
	Ε	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ–सफाई का अभाव, रख–रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)			Nil











50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
А	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	۷□				
В	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	80 प्रति परिवार				
	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो–	Nil				
D	अपशिष्ट जल पुनःचकण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई हैं तो—	Nil				

5:	1	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
		स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
	Α	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		√ □	
	В	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		√□	
	С	उपस्वास्थ्य केन्द्र		√ □	
	D	आंगनवाड़ी	√ □		
	E	आशा	√ □		
	F	स्वाथ्य कैम्प/मेला	√ □		
	G	डिजीटल स्वास्थ्य देखभाल		√ □	

5	2	रोग / बीमारी								
		विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी / रोग से कितने लोग प्रभावित हुंए हैं?	कुल ्		<u> </u>	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्वास्थ्य देखभाल	ार का विव घरेलू देखभाल	न्त्य घर—घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख T करें)
	Α	वेक्टर—जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	21	11	4	6		٧	٧	
	В	जल–जनित रोग (हैजा / डायरिया / टाईफाई ड / हैपेटाइटिस आदि)	33	14	9	10		٧	٧	











	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	21	1	3	17		□ √	√□	
D	कुपोषण	1	1			आशा,ANM			Health Camp

VII. <u>বর্</u>जা

5	3					
	Α	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	508			
	В	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या				
		ए०सी०	02			
		एयर कुलर	202			
		रेफ़िजेटर / फ्रीज	112			

5	4	विद्युत कटौती की आवृत्ति			
	Α	दिन में कुछ बार	ال		
		दिन में एक बार			
		विद्युत कटौती नही			
	В	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	8 घंटे		
		यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	Nil		

55	वोल्टेज अस्थिरता / उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?				
	दिन में कुछ बार	□V			
	दिन में एक बार				
	अस्थिरता / उतार–चढ़ाव नहीं				

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	2











सौर उर्जा	37	
इमरजेंसी लाईट	304	
इन्टवटर्स	106	
अन्य साधन (उल्लेख करें)	Nil	

5	57	नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत				
	Α	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)		
		घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	15			
		विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Nil			
		चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Nil			
		ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	01			
		अन्य सौर उर्जा स्थापना	Nil			
		सौर स्ट्रीट लाईट	37			
		बायोगैस	Nil			
		विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	Nil			
	В	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं / कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	Nil			

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा / महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	25	
	बायोगैस	Nil	
	एलपीजी गैस	491	
	विद्युत	Nil	
	सौर उर्जा	Nil	











		अन्य (कोयला, मिट्टी का ते आदि)	ल, चारकोल Nil		
5	9	वाहन की संख्या			
		वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
	Α	जीप	6	डीजल	45
	В	कार	7	डीजल पेट्रोल	76
	С	दो पहिया वाहन	262	पेट्रोल	95
	D	विद्युत चालित वाहन	Nil		
	E	आटो	4	डीजल	30
	F	ई—रिक्शा	15	इलेक्ट्रॉनिक	20
	G	अन्य	Nil		

6	60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों / मशीनों की सख्या	प्रयुक्त ईधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
	Α	टैक्ट्रर	5	<u>ਤੀ</u> जल	15
	В	कम्बाईन हारवेस्टर	Nil		
	С	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	Nil		

6	1	ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)										
		ईधन प्रतिदिन की बिकी पम्प से कितने प्रकार के वाहनएक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईधन लेते हैं? के आपूर्ति वाले (समय/ अविध का उल्लेख करें)										ति हैं?
		प्रकार		गांव की संख्या	टैक्ट्रर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई—रिक्शा	अन्य
	Α	Nil	Nil									











	Nil	Nil								
В										

6	2	औद्योगिक इकाई									
		उद्योग के प्रकार		विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2),	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)						
		Nil	Nil								
		Nil	Nil								
		Nil	Nil								
		Nil	Nil								

अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट



कुल पुरूषों की जनसंख्या	4570
कुल पुरूषा का जनसंख्या	1570
कुल महिलाओं की जनसंख्या	1298
3	
जनसँख्या विभाजन	सामान्य- 20% पिछड़ी- 42% दलित-
	38%
विकलांग जनों की संख्या	14
कुल बच्चों की जनसंख्या	489
कुल परिवार की जनसंख्या	516
गरीबी के रेखा से नीचे जीवन यापन	40
करने वाले परिवार की संख्या	
कुल भगौलिक क्षेत्रफल	234.388 हे0
साक्षरता दर	86 प्रतिशत
पक्का घरों की संख्या	431
कच्चा घरों की संख्या	85
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	144
कूएं	11
	1

खतरा जोखिम, नाजकुता एवं क्षमता विश्लेषण

जलवायु परिवर्तनशीलता— प्रवृत्ति / परिवर्तन, मुख्य चुनौतियाँ झटके एवं तनाव —

प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत—यादव पट्टी में सभी मौसम सर्दी, गर्मी एवं बरसात का प्रभाव रहता है। दो दशक पूर्व सर्दी नवम्बर माह से मार्च माह तक पड़ती थी। किन्तु सर्दी अब देर से शुरू हो रही है और फरवरी माह में ही समाप्त हो रही है। पिछले वर्ष 2022 में जून माह में बारिश हुई ही नही। जुलाई माह में भी दो—तीन दिन छोड़कर बारिश बहुत कम मात्रा में हुई। सूखा जैसे स्थिति दिखाई पड़ी, परन्तु कृषि कार्य करने वाले लोगों से पता चला कि आज से 20 वर्ष पूर्व धान की फसल में केवल एक बार सिंचाई करनी पड़ती थी किन्तु ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से अब धान की फसल 2020 में तीन—चार बार सिंचाई करनी पड़ रही है। गाँव के लोगों ने बताया कि पहले गर्मी मई, जून से लेकर अगस्त तक होती थी, किन्तु अब गर्मी 15 मार्च के बाद से सितम्बर तक रहती है। विभिन्न प्रक्रिया के तहत पी.आर.ए० विधियों का उपयोग करते हुए विभिन्न टूल्स के माध्यम से कई गतिविधियां सम्पादित की गई। इन गतिविधियों से प्राप्त सूचनाएं एवं आकड़ों के आधार पर जलवायुगत आपदा खतरा जोखिम प्रोफाइल में अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया। आपदा—खतरा जोखिम प्रोफाइल से सम्बन्धित सूचनायें निम्नवत है—

1. **गॉव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं प्राथमिकीकरण**—समुदाय के साथ आपदाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा व विचार विमर्श किया गया, जिनसे उनकी दैनिक दिनचर्या, आजीविका,

शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफ—सफाई प्रभावित होती है। चर्चा के आधार पर आपदाओं की एक सूची बनाया गया। इस सूची में सिम्मिलित आपदाओं के प्रभाव को एवं इससे उत्पन्न समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इस गाँव की मुख्य आपदा ओलावृष्टि के साथ जलजमाव भी है, जिससे खेती, आजीविका, स्वास्थ्य एवं पेयजल, साफ—सफाई आदि में जोखिम की संभावना अधिक बढ़ जाती है।

आपदा का इतिहास एवं क्षित — समुदाय के साथ आपदाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा व विचार—विमर्श किया गया, जिनका अब तक समुदाय एवं संसाधनों पर व्यापक और सामान्य दोंनों तरह से प्रभाव पड़ा है। गाँव के लोगों ने बताया कि यादव पट्टी ग्रामपंचायत में वर्ष 1965, 1971 व 2018 में सूखा की घटना हुई, जिससे फसलों की काफी क्षित हुई थी। आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदायें यादव पट्टी ग्राम पंचायत को प्रभावित करती हैं।

	Jan	Feb	Mar	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	ОСТ	NOV	DEC
जल जमाव												
सूखा												
ओलावृष्टि												
ऑधी												
तूफान												
लू												
शीतलहर												

आपदा का ऐतिहासिक मानचित्रण व मौसमी कैलेण्डर बनाने से और समुदाय के साथ चर्चा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कम दिनों में अधिक वर्षा और वर्षा—विहीन दिनों की संख्या में वृद्धि के साथ तापमान चरम पर पहुँचने से पर्यावरण में स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

जल जमाव इस ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्या है, जो प्रत्येक वर्ष समुदाय के आवागमन, पशुपालन, खेती एवं मजदूरी को पूरी तरह प्रभावित करती है। साथ ही मई, जून में अत्यधिक गर्मी का पड़ना, सामान्यतः मानसून के दिनों में जून, जुलाई में वर्षा का न होना, कम होना आदि सूखा पड़ने के संकेत विगत कई वर्षों से देखने को मिल रहा है। जिसका दूरगामी प्रभाव सिंचाई, पेयजल, खाद्यान्न, उत्पादन एवं पशुपालन के चारे का संकट पूरे वर्ष झेलना पड़ता है। पिछले 10 वर्षों से खरीफ की फसल लगातार प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रबी की फसल भी ओलावृष्टि के कारण प्रभावित होती है।

2-जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आकलन -

उपरोक्त आपदाओं के आधार पर होने वाले अनुमानित प्रभाव एवं उनसे प्रभावित समुदाय संसाधन आदि का विस्तृत विवरण / जानकारी प्राप्त किया गया। यह जानकारी समुदाय के सभी वर्गो महिला, पुरूष, दलित एवं वंचित समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किये गये हैं।

आपदाओं का ग्राम पंचायत यादवपट्टी के पर्यावरण आधारभूत संरचना के साथ ही मानवजीवन, आजीविका एवं स्वास्थ्य आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जल जमाव के कारण विभिन्न संसाधन एवं व्यवस्थाएं जोखिमपूर्ण हो जाती हैं। इस गाँव के लोगों को जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम से निम्न समस्याओं का सामना करना पडता है।

जो निम्नवत है:-

क्र0	आसन्न आपदा	संभावित	संभावित जोखिम प्रभावित	क्षेत्र		
सं0	/ खतरे	जोखिम का	जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
	,	क्षेत्र				
1	जलजमाव	पेयजल	पेयजल का दूषित होना,	पूरा गाँव	470	120हैण्डपम्प का
			जल जनित बीमारी का	α.		जल दूषित हो
			जोखिम			जाना
		स्वच्छता	ठोस अपशिष्ट बहकर	पूरा गाँव	470	सडक खडन्जा
			फैल जाना	α.		इण्टरलॉकिंग
		स्वास्थ्य	जल जनित बिमारियों	पूरा गाँव	516	225 लोग
			का होना	Ε.		प्रभावित
		शिक्षा	आवागमन बाधित होने	पूरा गॉव	516	सड़क व
			तथा पूरे गॉव से	C.		विद्यालय परिसर
			विद्यालय में उपस्थिति			में पानी होना
			कम होना			
		समाजिक	वृद्धजन, बच्चे, विकलांग	पूरा गॉव	470	सड़के क्षतिग्रस्त
		सुरक्षा	जन व महिलाओं का			हो जाना
			घायल होना			
		कृषि	खरीफ की फसल का	पूरा गॉव	470	10—15 एकड़
			नुकसान, धान की नर्सरी			
			का नुकसान, रबी फसल			
			की बोआई मे विलम्ब			
		उद्यान सब्जी	पेड़-पौधे व सब्जी	पूरा गॉव	270	2200 पेड़-पौधे
			फसल खराब होना			10 एकड़ सब्जी
		पशुपालन	पशुओं में बीमारी का	पूरा गॉव	470	गाय, भैस,
			प्रकोप			बकरी, मुर्गी
						पालन
		आजीविका	स्थानीय स्तर पर	217 जॉब	217	93 सक्रिय
			मजदूरी न मिलना	कार्ड		जाबकार्ड धारक
		जल निकाय	जल निकाय में गंदा	पूरा गॉव	470	05 जल निकाय
			पानी भरना			क्षेत्र
		खुले क्षेत्र	खुले में खरपतवार,			खुले में
			खासपात की अधिकता			खरपतवार,
			व कीट-पतंगों का			घास–पात की
			प्रकोप	, ,		अधिकता
2	सूखा	पेयजल का	जलस्तर का नीचे चला	पूरा गॉव	470	पूरी ग्राम
		संकट	जाना			पंचायत
		कृषि	उपज प्रभावित होना	पूरा गाँव	470	60 हे0 खेती
		उद्यान सब्जी	पेड़—पौधे व सब्जी	पूरा गाँव	270	2200 पेड़-पौधे
			फसल खराब होना	J		10 एकड़ सब्जी
		पशुपालन	पशुओं में बीमारी का	पूरा गॉव	470	गाय, भैस,
			प्रकोप			बकरी, मुर्गी
						पालन

3	लू	स्वास्थ्य	मानव एव पशुओ को लू लगना, स्वास्थ्य खराब	पूरा गांव	470 घर	स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होना,
			होना, टीकाकरण में बाधा			पेयजल स कट
						चारा
						का सूख जाना
		शिक्षा	बच्चों का स्वास्थ्य		लगभग	बच्चों कीं शिक्षा
			प्रभावित		200 बच्चे	बाधित
4	शीतलहर	स्वास्थ्य	मानव व जानवरों को	बुजुर्गो ं	वृद्धजन	शीतलहर के
			ठण्ड लगना	स्वांस की	एवं बच्चें	प्रकोप से मानव
				बीमारी में		स्वास्थ्य की
				वृद्धि		हानि
		कृषि	शीतलहर से फसलो			खेती
			को नुकसान			
		पशुपालन	पशु क्षति, खेत में	पूरा गांव	50	प्रत्येक वर्ष ४०
			फसलों को नुकसान		पशुपालक	से 50
					घर	बकरियों की
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			मृत्य ् र्
5	ओलावृष्टि	मानव	छोटे बच्चें, वृद्वजन,	पूरे गाँव	516	कच्चे घरों व
		स्वास्थ्य व	महिलाएं के गिरने, चोट	में आम		फसलों का
		पेयजल का ——	लगने का खतरा,	के बाग व		क्षतिग्रस्त होना
		संकट	जानवरों के घायल होने	कच्चे घरों		
			का खतरा	की क्षति		

आजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव— ग्राम पंचायत यादव पट्टी में आजीविका का मुख्य साधन कृषि, कृषिगत मजदूरी एवं पशुपालन है। जलजमाव के दौरान आजीविका हेतु लोग पलायन करते है। आजीविका के साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते है।

(विस्तृत विवरण के लिए संलग्नक-2देखें)

नाजुकता विश्लेषण— आपदाओं का बार—बार सामना करने से प्रभावित समुदाय सामाजिक व आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। समुदाय द्वारा ग्राम पंचायत को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाने की दिशा में नाजुक समुदाय, नाजुक संसाधन, नाजुक स्थल का जानना अति आवश्यक है। इसे जानने के लिये समुदाय के साथ आशा, ऑगनवाड़ी कार्यकत्री आदि के मदद से नाजुक वर्ग व स्थलों की जानकारी ली गयी है।

जलजमाव— जलवायु परिवर्तन व आपदा के प्रभाव स्वरूप यादव पट्टी ग्राम पंचायत में जल जमाव एक प्रमुख समस्या है।गाँव की मुख्य सड़क प्रयागराज—लखनऊ राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। यह गांव गंगा नदी के तट पर बसा है। कहने के लिए गांव के बीचों बीच एक नाला है, परन्तु इसकी साफ सफाई न होने के कारण जाम हो जाने से जल निकासी नहीं हो पाती।

समुदाय पर जल-जमाव का प्रभाव-जलजमाव का समुदाय पर प्रभाव निम्नवत् है-

जल जमाव से 25-30 घर प्रभावित होते हैं। घर की दीवारों एवं फर्श में सीलन रहता है। बरसात में जल

जमाव के कारण आवागमन बाधित रहता है।

आम के बाग में लगातार जलजमाव से पेड़ भी सूख जाते है।

मच्छरों का प्रकोप हमेशा बने रहने से लोग बीमार रहते है।

सूखा— समुदाय के साथ चर्चा से यह तथ्य निकलकर आया कि सूखा गाँव की दूसरी बड़ी आपदा है। आज से 20 वर्ष पहले यहाँ जून माह से सितम्बर माह तक बरसात होती थी। वर्ष 2022 में जून में बारिश नहीं हुई।



जुलाई में दो से तीन दिन ही बारिश हुई। फिर कई दिनों तक बारिश नही हुई, इससे सूखे की स्थिति बनती जा रही है। सूखे की स्थिति में निम्न गतिविधियाँ और वृद्धि कर रही है।

- गॉव के खेतों में मेड़बन्दी जैसी जल संरक्षण की गतिविधियों की कमी है।
- आम की बाग अधिक होने से यह गांव फल पट्टी एरिया में आता है।
- गॉव में आम की बाग अधिक मात्रा में है। सागौन, शीशम, नीम, जामुन के वृक्ष भी कुछ जगहों पर व्यक्तिगत रूप से लगे है।
- गॉव के कुल 10 कूँएं हैं, जो भूमिगत जलस्तर का प्रबन्धन कर सकते हैं। इसमें 3 कूओं का पानी साफ है। शेष कूँएं में गंदगी मिट्टी आदि भरा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप तालाब की जल धारण क्षमता प्रभावित हो रही है। सड़कों के किनारे, खेत के मेड़ों पर कृषि व सार्वजनिक स्थलों पर वृक्ष लगे हुये है।

सूखा का समुदाय पर प्रभाव - सूखे का समुदाय पर प्रभाव निम्नवत् है-

- सूखे से पेयजल प्रभावित हो जाता है। गर्मी के दिनों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प का जलस्तर काफी नीचे चला जाता है।
- सूखे के प्रभाव से खरीफ की फसल में सिंचाई की लागत बढ़ गयी है। पिछले वर्ष 2022 में सूखे से धान का उत्पादन कम हुआ है।
- सूखे से जानवरों को चारे की कमी हो जाती है। तापमान बढ़ने से पशुओं को विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती है। दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है।

लू- लू स्थानीय समुदाय पर निम्न तरीके से प्रभाव डालता है-

लू आपदा भी गाँव को प्रभावित करती है। समुदाय के साथ चर्चा के दौरान निकलकर आया कि गर्मियों के दिनों में 15 मई से 15 जून तक मौसम का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और गर्म हवाये चलने लगती हैं। इससे समुदाय के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य व पशुओं को लू लगने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गो पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाये प्रभावित होती हैं। विशेषकर छोटे बच्चों के टीकाकरण आदि में बाधा आती है। पशुओं को चारा एवं पेयजल हेतू पानी की समस्या बढ़ जाती है।

शीतलहर—गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण शीतलहर भी गाँव को प्रभावित करने वाली आपदा है। सर्दियों के मौसम में 15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव रहता है। शीतलहर मनुष्य व पशुओं के स्वास्थ्य व कृषि को भी प्रभावित करता है। शीतलहर के प्रभाव से पशुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बकरियों को पीपीआर बीमारी होती है। गाय, भैस के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। शीतलहर के कारण कृषि कार्य, मजदूरी आदि आजीविका प्रभावित होती है। बच्चों में निमोनिया, खांसी एवं दस्त की समस्या हो जाती है। फसलों में मुख्यतः आलू, दलहन एवं तिलहन पर पाले का प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप पौधों की बढ़वार थम जाती है और फसल सूख जाती है। कीट पतंगों का प्रभाव बढ़ जाता है। जलावनी लकड़ी की व्यवस्था हेतु महिलाओं को अधिक मेहनत करनी पड़ती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय की व्यवहारगत एवं ढाँचागत संरचना में कमियाँ है, जो निम्नवत है—

- गाँव में समुदाय आधारित संस्थाओं की कमी है। कृषि केन्द्र, बीज केन्द्र, किसान संगठन, सामुदायिक अनाज बैक, युवामण्डल दल, मिहला मण्डल, सामाजिक संगठन की कमी है। इस कारण आपदा के समय समुदाय को सरकारी एवं वाह्य सहायता पर निर्भर रहना पडता है।
- लोगों में जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है। लोगों को कृषिगत, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव है। गाँव के लोग पशुपालन तो करते हैं, किन्तु जानकारी न होने के कारण नस्ल सुधार, पशुओं का बीमा, फसल बीमा आदि नहीं कराते हैं।

- गांव में सौर उर्जा सम्बधित गतिविधियां नहीं है। यहाँ लगभग 83 प्रतिशत से अधिक घरों
 पर पक्की छत है। जहाँ पर सौर उर्जा लगाया जा सकता है।
- गॉव में सूखा एवं गीला कचरा एक साथ इकठ्ठा होकर गिलयों, सड़कों एवं खड़न्जा आदि के किनारे पड़ा रहता है। लोगों में कचरा प्रबन्धन के बारे में जानकारी व जागरूकता का अभाव है। परिणाम स्वरूप मानसून के दिनों में यह कचरा बहकर जल निकास तंत्र को बाधित करता है एवं जलजमाव की समस्या को बढाता है।
- मानूसन के दिनों में जल जिनत मच्छर—मिक्ख्यों से होने वाली बीमारी की आशंका बनी रहती है। यहाँ टायफाइड, मलेरिया, सांस सम्बन्धित बीमारियाँ अक्सर होती रहती है।
- गॉव में अधिकांशतः मुख्य फसले गेंहूँ सरसों एवं धान ही उगातेहै। खेती में विविधता, मिश्रित खेती, मिश्रित फसलों एवं कम लागत, स्थाई कृषि आदि से सम्बन्धित गतिविधियाँ नही है। जिससे किसानों को आपादा के समय जोखिम का ज्यादा सामना करना पडता है।
- कृषिगत गतिविधियों में उर्वरक, कीटनाशक, खर—पतवार नाशक का अत्यधिक प्रयोग किया
 जाता है।
- गॉव में गाय, भैंस आदि पशुपालन, होने के बावजूद भी गोबर का प्रयोग जैविक खाद एवं कम्पोस्ट खाद का प्रयोग नहीं करते हैं गॉव के लोग गोबर का प्रयोग जलावन / कण्डे के रूप में करते हैं।
- प्राथमिक विद्यालय के पास ऑगनवाड़ी भवन बना हुआ है। जो पूरी तरह जर्जर है। आंगनवाड़ी में 0-6 माह के 30 बच्चे 3 से 6 वर्ष के 130 बच्चें गर्भवती 23 एवं धात्री महिलाये 26 को स्वास्थ्य सेवाये एवं पोषाहार का वितरण किया जाता है। गाँव में जन सुविधा केन्द्र के नहीं होने से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी और पहुँच से लोग वंचित रह जाते हैं।
- ग्राम स्तर पर लघु / सूक्ष्म उद्योग, पारम्परिक रोजगार में कमी दिखाई दी। जैसे— कुल्हड़
 बनाना, रस्सी बनाना, बढ़ईगीरी आदि की कमी पायी गयी है।

क्षमता विश्लेषण-

आपदाओं के सन्दर्भ में गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से गाँव स्वयं में कितना सक्षम है, इसकी जानकारी हेतु समुदाय के साथ मिलकर समग्र ग्राम पंचायत का क्षमता आकलन किया गया। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली आपदाओं एवं खतरों से गाँव के साथ ही आसपास उपलब्ध संसाधन भी प्रभावित होते हैं। यह संसाधन भौतिक, पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन के रूप में मददगार होते हैं।

• ग्राम पंचायत यादव पट्टी प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग से 03 कि0मी0 दक्षिण दिशा में स्थित है। इस गाँव में ग्रामीणों की सुविधा के लिये सामुदायिक शौचालय, बच्चों की शिक्षा

हेतु एक प्राथमिक विद्यालय है, ग्राम पंचायत यादव पट्टी में लगभग 83 प्रतिशत घरों में पक्की छत है। गाँव की सड़के कई जगहों पर टूटी—फूटी है। जिसके कारण बरसात के दिनों में जलजमाव रहता है। आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ता है। गाँव के सामुदायिक जल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी तो प्रस्तावित है, परन्तु अभी उसका कोई अता पता नहीं है। गाँव में एक तालाब अमृत सरोवर भी बनाने हेतु प्रस्तावित है। संगठन के तौर पर ग्राम पंचायत यादव पट्टी में 02 महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। जिसमें से दोनों समूह बैंक से लिंकेज है। सुविधा, संसाधन मानचित्र से लिये गये आकड़े एवंम् तथ्य, विशेषकर संसाधनों के सन्दर्भ में किये गये क्षमता आकलन को तीन भागों में बाँटकर किया गया, जिसमें गाँव में उपलब्ध भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनो को सामाजिक मानचित्र पर अंकित किया गया। जबिक मानव संसाधन के बारे में समुदाय के साथ चर्चा कर सूचनायें प्राप्त की गयी जो निम्नवत है—

भौतिक संसाधनो की उपलब्धता एवं गाँव से दूरी

विवरण	संख्या	गाँव से दूरी
प्राथमिक विद्यालय	1	0.3 कि0मी0
पंचायत भवन	1	0.4 कि0मी0
सरकारी राशन की दुकान	1	0.5 कि0मी0
थाना	1	1.5 कि0मी0
कचहरी तह0—कुण्डा	1	14 कि0मी0
जिला चिकित्सालय	1	65 कि0मी0
एम्बुलेंस व्यवस्था	1	14 कि0मी0
विकास खण्ड कार्यालय	1	14 कि0मी0
सामु० स्वास्थ्य केन्द्र	1	14 कि0मी0
पोस्ट ऑफिस	1	14 कि0मी0
बिजली विभाग	1	14 कि0मी0
बस स्टेशन कुण्डा	1	14 कि0मी0
रेलवे स्टेशन कुण्डा	1	15 कि0मी0
खाद, बीज, दवा केन्द्र	1	08 कि0मी0
बैंक	1	14 कि0मी0

प्राकृतिक संसाधन संख्या एवं दूरीः

संसाधन	संख्या	दूरी
तालाब	4	0.3 कि0मी0

कुँआ	11	0.3 कि0मी0
नाला	6	0.4 कि0मी0
बग	7	0.3 कि0मी0
न्दी	1	0.3 कि0मी0
कृषिगत क्षेत्र	111.654 हे0	0.6 कि0मी0
सामुदायिक भूमि	0.746 हे0	0.3 कि0मी0

मानव संसाधनः

ग्राम प्रधान	सौरभ सिंह	9455907717
शिक्षक	संजीव कुमार	9125530090
राजस्व निरीक्षक	अनिल दूबे	8840938149
तकनीकी सहायक	अनिल कुमार	8737008554
	पाण्डेय	
ग्राम विकास अधिकारी	विजय कुमार	8565084143
थाना प्रभारी	मनीष पाण्डेय	9454404119
पंचायत सहायक	शालू सिंह	7388761104
शिक्षा मंत्री	राकेश कुमार	9628457267
ए०एन०एम०	मनीष पाण्डेय	7233969822
आंगनवाड़ी	शाली देवी	7565860354
आंगनवाड़ी	अनीता देवी	9918473267
आंगनवाड़ी	श्यामकली	8726933635
आशा	सुनीता देवी	7310266724
आशा	शोभा देवी	9919700738



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत यादव पट्टी की कार्य योजना का निर्माण ब्लाक—कुण्डा, जनपद—प्रतापगढ़।

जोखिमता के कारण व समाधान आदि के बारे में संकलन कर तैयार किया गया है। राजस्व गांववार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत यादव पट्टी के चर्चा किया गया। इस बैठक के दौरान सभी 04 राजस्व गॉवों के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न बिन्दुओं पर ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, समस्याएँ और उन समस्याओं का निराकरण हेतु एक विशिष्ट कार्य योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त सूचानाओं, तथ्यों ग्रामीणों से विचार—विमर्श के बाद "क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम अवधारणा के तहत **क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना** को तैयार किया गया है, जिसमें आपदा जोखिम, क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी अभ्यासों एवं प्रयासों के उपरान्त राजस्व गाँव वार जानकारी प्राप्त करने के लिए समूह राजस्व गॉव– यादव पट्टी, चक अब्दुल गनी, पाटीहार एवं भानापुर की कार्य योजना तालिका–

那 0	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परि सम्पत्ति का स्थान	अनुमानि	अवधि	योजना का
<u>सं</u> 0					ᆈ		परिव्यय
					धनराशि		
01	मानव विकास एवं	गंदे एवं पटे 10 कुऍ प	पाटीहार से छाताहार जाते समय रास्ते में प्रा0	पाटीहार—2,	7.65	2 मा ह	15 वॉ वित्त
	सामाजिक सुरक्षा	की सफाई सुरक्षा	वि० में, भानापुर रास्ते मे, पंचायत भवन में,	भानापुर—3,	लाख		आयोग
	साफ— सफाई एवं	एवं मरम्मत का	यादव पट्टी रास्ते में, तीन सदस्य के घर के	यादवपट्टी—2,			
	स्वच्छता	कार्य	गस	चक अब्दुलगनी—3			
02		शौचालय निर्माण	महिला, पुरूष एवं दिब्यांगजन हेतु शौचालय	प्रा०वि० के पास एवं सभी	18.40	5 माह	15 वॉ वित्त
		एवं मरम्मत कार्य		राजस्व गॉव में 14	लाख		आयोग
				सार्वजनिक शौचालय घर			
				बनाने तथा 212 शौचालयों			
				की मरम्मत हेतु			
03		नाडेप / वर्मी	मिट्टी को नम बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत	यादव पट्टी— 19	5.70	6 माह	15 वॉं वित्त
		कम्पोस्ट जैविक	70 वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण कार्य	पाटीहार—12	लाख		आयोग
		खाद का पिट		भानापुर—11			
		निर्माण		धरौली—15,			
				आंगन का पुरवा—8, दुर्गा			
				का पुरवा—05			
			मिट्टी को नम बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत	धरौली—12,	4.00	6 माह	15 वॉं वित्त
			55 नाडेप कम्पोस्ट पिट का निर्माण कार्य	छाताहार.—11	लाख		आयोग
				आंगन का पुरवा—10,			
				अलीनगर—12			

			<u> </u>																	
	15 वॉ वित्त	आयोग	15 वॉ वित्त	आयोग			15 वॉ वित्त	आयोग	15 वॉ वित्त	आयोग	१५ वॉ वित्त	आयाग	15 वॉ वित्त	आयोग	15 वॉ वित्त आयोग	15 वॉं वित्त आयोग				
	5 माह		6 माह				1 HIE		2 माह		3 माह		3 माह		3 माह	6 माह				
	28.20	लाख	19.40	लाख			19.50	लाख	22.70	लाख	2.00	लाख	3.20	लाख	17 लाख	18 লাড্ৰ				
चक अब्दुलगनी—10	यादवपट्टी—09	पाटीहार—14 भानापुर—11 चक अब्दलगनी—13	प्रस्तावित अमृत सरोवर के	पास-3, पाटीहार	2, नह	पास-3, गारव गर्स-2	यादव पटटी		यादव पट्टी		यादव पट्टी	•	यादव पट्टी		भानापुर और यादव पट्टी	धरौली,	आंगन का पुरवा		भानापुर	
	पेयजल की उपलब्धता हेतु 47 इपिडया मार्क	हैण्डपम्पों का रीबोर एवं प्लेटफार्म निर्माण हेतु	गंदे जल की सफाई हेत् 10 जलशोधन केन्द्र	स्थापना			पल से पंचायत भवन आर0सी0सी0 सडक 300	मीटर निर्माण हेतु	सड़क से पंचायत भवन तक 450 मीटर तक	नाला निर्माण।	प्राo विo से पक्की सड़क तक 350 मीo नाले		गंगा नहर से छाताहार तक 500 मी० नाले की		नाले पर 02 एवं नहर पर 01 का निर्माण होना है।	कमलेश के घर से मन्दिर तक 210 मी0 नाली	राम सजीवन के घर ददौली वार्ड तक 250 मी0	इस्तियाक के घर से तालाब तक 200 मी0 नाली निर्माण	कड़ेदीन के घर से बाग तक नाली 110 मी0	
	हैण्डपम्प रिबोर	इपिडया मार्क–2	पानी की सफाई हेत्	जलशोधन केन्द्र			सडक निर्माण		नाला निर्माण		नाला की सफाई एवं	ধ্ৰেণাহ			पुलिया निर्माण	नाली निर्माण				
	9		05				90		07		80				60	10				

				15 वॉ वित्त आयोग	15 वॉ वित्त आयोग	15 वॉ वित्त आयोग एवं मनरेगा	15 वॉ वित्त /मनरेगा/ वन विभाग	15 वॉ वित्त / मनरेगा एवं वन विभाग	15 वॉ वित्त आयोग	15 वॉ वित्त आयोग
				6 제底	2 माह	1 माह	6 माह	3 माह	2 माह	3 माह
				28 लाख	9 लाख	5 लाख	12 लाख	8 लाख	9.90 लाख	39 लाख
भानापुर	चक अब्दुलगनी	चक अब्दुलगनी	आंगन का पुरवा	यादवपट्टी—34 पाटीहार—23 भानापुर—21	गंदे नाले से माइनर तक	गन्दे नाले पर	धरौली	भानापुर	यादव पट्टी	यादवपट्टी पाटीहार,
शंकर के घर से नन्हे के घर तक नाली 300 मी0	लालजी के घर से दूधनाथ के घर तक 210 मी0	नाली इन्द्रपाल के घर से तालाब तक 110मी0 नाली		पानी निकास हेतु मोटे पाइप, सीमेन्टेड पाइप और लोहे के वैम्बर का निर्माण – 78	खराब जल को गॉव से बाहर निकास हेतु मोटे साइफन लगवाना	नाले पर 3 चेक डैम का निर्माण कार्य	तालाब संरक्षण का कार्य सफाई, चौहद्दी,चबूतरा, वृक्षारोपण, सीमेन्टेड पाइप, साइफन आदि का कार्य	तालाब की गहरी खुदाई एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य	भू—गर्भजल प्रबन्धन हेतु 70 सोख्ता गड्ढ़े का निर्माण।	एक केन्द्र यादव पट्टी में और दूसरा पाटीहार में निर्माण कार्य।
				गंदे पानी के निकासी हेतु संरचना	जल निकासी हेतु मोटे साइफन को लगवाना	चेक डैम	तालाब संरक्षण	तालाब की खुदाई,	सोख्ता गड्ढा	आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण
	_	_	_				बुनियादी / आधार भूत संरचना एवं पर्यावरण संरक्षण			
				= 1	12	13	4	15	16	17

15 वॉ वित्त आयोग	15 वॉ वित्त आयोग / मनरे गा	:								
3 माह	6 माह									
23.50 लाख	64.50 लाख									
	धरोली	धरौली			आंगन का पुरवा	आंगन का पुरवा		-ارا ارد	भानापुर	भानापुर
उप स्वास्थ्य केन्द्र यादव पट्टी में निर्माण करना है।	दुर्गा मन्दिर से सिकन्दर के घर तक सी0सी0 रोड–210.मी0	कल्लू के घर से कान्ती के घर तक सी०सी० रोड–150.मी0	नीरज के घर से मोतीलाल के घर तक सी0 सी0 रोड–90 मी0	लवकुश के घर से सुभाष के घर तक सीसी0रोड—160मी	शंकर के घर से नन्हे के घर तक सी०सी० रोड–200. मी0	नहर से श्याम लाल के घर तक आर0सी0सी0 रोड–250. मी0	अवधेश के घर से राम सुख के घर तक सी०सी०रोड—120.मी०	पक्की सड़क से बाग तक सी0सी0 रोड— 190. मी0		
	सड़क इण्टरलॉकिंग एवं आर०सी०सी० निर्माण									
18	19									

6 माह 15 ⁷ आयो	-									
98.50 लाख										
यादव पट्टी	यादव पट्टी		ر ا ا ا ا ا ا ا	भानापुर	चक अब्दुल गनी	भानापुर		_ દ્વ	आंगन का पुरवा	धरौली
प्रा0वि० से पक्की सड़क तक इण्टर लॉकिंग —120.मी०	सन्तोष के घर से बाग तक इण्टर लॉकिंग –300.मी0,	बैजनाथ के घर से बृजेश के घर तक इण्टरलॉकिंग—150.मी0,	पिन्टू के घर से तालाब तक इण्टरलॉकिंग —100.मी0	महेन्द्र के घर से बाग तक इण्टर लॉकिंग—100.मी0	सरकारी सबमर्सिबल पम्प से नन्हे के घर तक इण्टरलॉकिंग—150.मी0	प्रेम के घर से उमेश के घर तक इण्टरलॉकिंग—180मी	संजू के घर से दूधनाथ के घर तकइण्टरलॉकिंग—140.मी0	नीरज के घर से पक्की सड़क तक इण्टरलॉकिंग—120.मी0	पक्की सड़क से शीतला प्रसाद के घर तक इण्टर लॉकिंग —150.मी0	पक्की सड़क से रामराज के घर तक इण्टरलॉकिंग —110.मी0
इण्टरलॉकिंग										

				2 माह 15 वॉ वित्त आयोग एवं मनरेगा	3 माह 15 वॉ वित्त आयोग / मनरे गा / वन विभाग	2 माह
				26 लाख 2	18.50 3 लाख	21.60 2
	आगन का पुरवा	आंगन का पुरवा	पाटीहार	पाटीहार छाताहार	भानापुर व धरौली में तालाब एवं नालो व खेतों के आस–पास	पाटीहार—10 भानापुर—25 धरौली—27, छाताहार.—5 आंगन का पुरवा—15, दुर्गा का पुरवा—06 चक अब्दुलगनी—05 अलीनगर—15
राधाकृष्ण मन्दिर से रमेश के घर तक इण्टरलॉकिंग—130.मी0					र फलदार, वृक्षो का रोपड़ और हेतु जाली निमार्ण	108 घरो हेतु छतो पर सौर उर्जा पैनल द्वारा प्रकाश व्यवस्था
				सड़क की मरम्मत कार्य	वृक्षारोपण एवं उनकी सुरक्षा	सौर उर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था
				बुनियादी / आधारभ ति संरचना एवं पर्यावरण		
				21	22	23

24	पशु—शेड	55 घरो में छोटे पशुपालको के लिए पशु शेड		22 लाख	3 माह	15 वॉ वित्त े
		की व्यवस्था	पाटीहार—04			आयोग एव
			भानापुर—08			मनरेगा
			धरौलीं—15,			
			छाताहार.—03			
			आंगन का पुरवा—05,			
			अलीनगर–06			
			दुर्गा का पुरवा–02			
			चक अब्दुलगनी–02			
25	कूड़ादान/ घर	15 स्थानों पर कूड़ा घर निर्माण कार्य एवं	ਧਾਟੀहार−02	2.30	2 ਸਾਵ	15 में वित्त
			भानापुर—02	लाख		आयोग एवं
			धरौली—02			मनरेगा
			छाताहार.—02			
			आंगन का पुरवा—02,			
			अलीनगर–02			
			दर्गा का परवा—02			
			वक अब्दुलगनी–01			
26	नर्सरी का निर्माण	महिला समूह के माध्यम से नेट हाउस एवं	यादवपट्टी ग्राम सभा	2 लाख	6 माह	मनरेगा / वन
		पाली हाउस बनाकर नर्सरी तैयार करना	,			विभाग
27	सिंचाई प्रणाली एवं	114 लाभार्थी कृषकों को टपक सिंचाई,	यादव पट्टी—17	5.60	3 माह	कृषि विभाग
	कीट प्रबन्धन	स्पंकलर सेट की व्यवस्था और कीट प्रबन्धन	पाटीहार—14	लाख		
		हेतु दवा एवं स्प्रे मशीन की व्यवस्था	भानापुर—13			
			धरौलीं—13,			
			छाताहार.—14			
			आंगन का पुरवा—15,			
			अलीनगर—10			
			दुर्गा का पुरवा—11			
			चक अब्दुलगनी–07			
		क्लाइमेट स्मार्ट परियोजना पर कुल लागत		ক্ত 564.15 লা ख	15 लाख	
1						

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया :--

वातावरण निर्माण — ग्राम पंचायत यादव पट्टी हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जन की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान सौरभ सिंह की अध्यक्षता में खुली बैठक आयोजित की गई। इसके 03 दिन पूर्व पूरे गांव का भ्रमण कर सामाजिक अगुवाओं से मिलकर प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट ग्रामपंचायत योजना के उद्देश्यों के बारे में चर्चा भी की गयी थी।

खुली बैठक — ग्राम पंचायत यादव पट्टी में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना निरूपण हेतु ग्रामसभा की खुली बैठक दिनांक—10/02/2023 पंचायत भवन में आयोजित की गयी इस बैठक में ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य स्वयं सहायत समूह के अध्यक्ष, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा, ए०एन०एम० ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, ग्राम के सम्मानित व्यक्ति तरूण चेतना संस्थान के निदेशक श्री नसीम अन्सारी, भीष्म प्रताप सिंह, सन्तोष कुमार चर्तुवेदी उपस्थित हुये। इस ग्राम पंचायत के पुरूष 46 महिला 37 बच्चे 19 कुल

102 लोगों ने प्रतिभाग किया। बैठक के अध्यक्षता ग्राम प्रधान द्वारा किया गया बैठक के प्रारम्भ में सभी का परिचय तरूण चेतना संस्थान के सन्तोष कुमार चर्त्वेदी द्वारा किया गया, बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरा विश्व झेल रहा है। इसका पूरा प्रभाव हमारे ग्राम पंचायत एवं ग्राम वासियों पर पड रहा है। सरकार इस दिशा में सतत् प्रयास कर रही है। यह बैठक इसी उद्देश्य पर कार्य करने हेत् आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश के 39 जनपद जो जलवायु परिवर्तन



अत्यधिक प्रभाव झेल रहे है। उसमें प्रतापगढ़ का यादव पट्टी को भी चयनित किया गया है। पहले भी हमारे ग्राम पंचायत की विकास योजना बनी है। परन्तु इन चार से पाँच दिनो में जलवायुगत मौसम से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु विकास के सभी मुद्दो के साथ जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। जिसमें आप सभी की सक्रिय सहभागिता अपेक्षित है। ग्राम भ्रमण — समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत आपदा एवं जोखिम को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधान पंचायत सदस्य, स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष समुदाय के सभी वर्गों के सदस्यों के

साथ चारो राजस्व गॉव में ग्राम

भ्रमण कार्य किया गया। पंचायत भवन से ग्राम भ्रमण कार्य शुरू होकर यादव पट्टी,पाटीहार, मानापुर, चक अब्दुल गनी से ग्राम भ्रमण करते हुए पुनः पंचायत भवन पर समाप्त हुई।



ग्राम भ्रमण / ट्रान्जेक्ट वाक के दौरान देखी गई स्थितियां-

तालाब— गाँव में कुल चार तालाब है, जिनमें से एक तालाब अमृत सरोवर के लिये प्रस्तावित है। इनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है।

नाला- ग्राम पंचायत के उत्तर दिशा में निकालाजाता है।

- पूरब दिशा से भी निकलकर भी एक नाला जाता है।
- ग्राम पंचायत में पानी की टंकी प्रस्तावित है।
- ग्राम पंचायत में 01 आंगनवाडी भवन है। शेष 02 आंगनवाड़ी भवन प्रस्तावित हैं।
- ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय बना है।

सम्पर्क मार्ग-गांव के सम्पर्क मार्ग जलजमाव के कारण खराब हो गये हैं।

सामाजिक मानचित्रण — सभी मजरों के भ्रमण के उपरान्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर सूचनाये निम्नवत है।

विवरण	संख्या	विवरण
ग्राम पंचायत की चौहद्दी की	234.388 हे0	चारो राजस्व ग्रामों, बाग–बगीचा व खेती
क्षेत्रफल		को मिलाकर
कुल राजस्व गॉव की संख्या	4	यादव पट्टी, भानापुर,पाटीहार, चक अब्दुल
		गनी
कुल घरो की संख्या	516	प्रत्येक टोलो में अधिकांश पक्के मकान है।
कुल कच्चे घरो की संख्या	85	

विकलांग जन की संख्या	14	3 महिला 11 पुरूष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	78	सभी टोलो को मिलाकर



जातिगत / श्रेणीग	त विवरण
सामान्य जाति के घरों की संख्या	14
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	245
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	257
योग—	516



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत

ग्राम सभा समिति -यादव पट्टी, कुंडा , प्रतापगढ़

क्र॰ स॰	नाम	पिता पतिका	वार्ड न॰	जाति	पद
		नाम			
.1	सौरभ सिंह	सुरेश सिंह	प्रधान	सामान्य	अध्यक्ष
.2	मालती देवी	अमरेश कुमार	1	अनुसूचित जाति	सदस्य
.3	तारा देवी	नन्द लाल	2	पिछड़ी जाति	सदस्य
.4	त्रिलोकीनाथ	बर्द्रीप्रसाद	3	सामान्य	सदस्य
.5	सिकन्दर	विन्देशवरी	4	सामान्य	सदस्य
.6	बृजरानी	वीरेन्द्र	5	सामान्य	सदस्य
.7	राम सजीवन	गयाप्रसाद	6	पिछड़ी जाति	सदस्य
.8	कमलेश कुमार	रामजियावन	7	पिछड़ी जाति	सदस्य

.9	प्रेमलता	शम्भूलाल	8	अनुसूचित जाति	सदस्य
.10	रामिकशुन	भगौती	9	सामान्य	सदस्य
.11	अफसरन	बचऊ	10	पिछड़ी जाति	सदस्य
.12	पूजा देवी	पिन्ट्	11	अनुसूचित जाति	सदस्य
.13	राजेश कुमार	सुन्दर लाल	12	अनुसूचित जाति	सदस्य
.14	सुमित कुमार	शिव दर्शन	13	सामान्य	सदस्य

ग्राम पंचायत की 06 उप समितियों के विवरण:


1	- नियोजन एवं विकास समिती		2- निर्माण कार्य समिति			
1	सौरभसिंह	अध्यक्ष	1	सुमितकुमार	अध्यक्ष	
		9455907717			9335962123	
2	सुमितकुमार	सदस्य	2	त्रिलोकीनाथ	सदस्य	
3	त्रिलोकीनाथ	सदस्य	3	रामसजीवन	सदस्य	
4	रामसजीवन	सदस्य	4	बृजरानी	सदस्य	
5	बृजरानी	सदस्य	5	मालतीदेवी	सदस्य	
6	मालतीदेवी	सदस्य	6	रामिकशुन	सदस्य	
7	तारादेवी	सदस्य	7	राजेशगौतम	सदस्य	

3. शি	क्षासमिति		4 स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति			
1	सौरभसिंह	अध्यक्ष	1	त्रिलोकीनाथ	अध्यक्ष	
		9455907717			9236434777	
2	त्रिलोकीनाथ	सदस्य	2	सुमितकुमार	सदस्य	
3	रामसजीवन	सदस्य	3	मालतीदेवी	सदस्य	
4	बृजरानी	सदस्य	4	कमलेशमौर्य	सदस्य	
5	मालतीदेवी	सदस्य	5	प्रेमलतासरोज	सदस्य	
6	कमलेशमौर्य	सदस्य	6	रामिकशुन	सदस्य	
7	अफसरन	सदस्य	7	अफसरन	सदस्य	

5- प्र	शासनिक समिति				6. जलप्रबन्धन समिति
1	सौरभसिंह	अध्यक्ष	1	रामसजीवन	अध्यक्ष
		9455907717			9455907717
2	रामसजीवन	सदस्य	2	सुमितकुमार	सदस्य
3	बृजरानी	सदस्य	3	त्रिलोकीनाथ	सदस्य
4	मालतीदेवी	सदस्य	4	कमलेशमौर्य	सदस्य
5	कमलेशमौर्य	सदस्य	5	मालतीदेवी	सदस्य
6	प्रेमलतासरोज	सदस्य	6	प्रेमलतासरोज	सदस्य
7	पूजादेवी	सदस्य	7	तारादेवी	सदस्य



आजीविका के साधन



आजीविका के साधन	व्यक्तियों की संख्या
सरकारी नौकरी	24
छोटे उद्योग धन्धे / बागवानी	25
कृषि आधारित	474
हस्तकला एवं शिल्पकार	_
पशुपालन	55
लोकल दुकान	21
गैर कृषि मजदूरी	164
अन्य	5

- सरकारी नौकरी
- छोटे उद्योग धन्धे / बागवानी
- कृषि आधारित
- कला एवं शिल्पकार
- पशुपालन
- स्थानीय दुकान
- गैर कृषि मजदूरी

आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटना क्रम -

ग्राम पंचायत यादव पट्टी ब्लाक कुण्डा जनपद—प्रतापगढ़ उ०प्र० का ऐतिहासिक समय रेखा, आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ये आपदायें इस ग्राम पंचायत को कब—कब प्रभावित कर रही हैं। इस क्रम में जल जमाव एक ऐसी आपदा है, जो लगातार समुदाय को प्रभावित कर रही है। साथ ही प्रत्येक वर्ष बढ़ भी रही है। हाल के वर्षों में सूखा, लू, एवं शीतलहर का प्रकोप ग्राम पंचायत के लागों को झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ विगत दो वर्षों से कोरोना नामक महामारी नई आपदा के रूप में उभर के आयी।इस बीमारी से बचाव के लिये पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने के कारण लोग अपने घरों में बन्द

हो गये थे। इसका सबसे अधिक प्रभाव खेती में तैयार उत्पाद के लिये बाजार न मिलने के रूप में था। बाजार, दुकान आदि सब कुछ बन्द हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।

स्थानीय लागों से प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत् दर्ज किया गया :-

वर्ष	खतरा	घटना के कारण	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु कार्य किया गया
1965	बाढ़	बरसात अधिक होने के कारण	45 घर	फसल बर्बाद हुई	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन किया गया
1986	सूखा	बरसात कम हुई	पूरा गॉव	फसल का नुकसान	सरकार द्वारा सहायता
2019	ओलावृष्टि	धूप न निकलने व अधिक ठंड पड़ने के कारण	पूरा गॉव	फसल व आम का नुकसान	सरकार द्वारा सहायता
2020 से 2021	कोरोना	कोरोना के कारण	शहर से लोग गॉव आये	100 से अधिक लोग	टीकाकरण कराया गया
2022	सूखा	बारिश कम हुई	पूरा गॉव	फसल प्रभावित	कोई सहायता नही


संलग्नक-2

क्रम	आजीविका	परिवार	की	आपदा	आप	ादा का प्र	भाव	क्या प्रभाव पड़ता है ?
	के प्रकार	संख्या		- -	कम	मध्यम	अधिक	
1	कृषि	216		जलजमाव				 जलजमाव के कारण 10 एकड़ फसल नष्ट हो जाती हैं, जिससे आर्थिक हानि होती है। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में आवागमन बन्द होने के कारण कृषि गतिविधियाँ प्रभावित हुई। लगभग 03 एकड़ में रवी की बुआई नहीं हो पाती है। धान में हर्दिया रोग हो जाता है कम दिन के जलजमाव वाले क्षेत्र की पैदावार भी प्रभावित होता है।
				सूखा				 खेत की खड़ी फसल सूख जाती है। सिंचाई खर्च अधिक लगता है। फसलों की बढ़वार नहीं हो पाती है। उत्पादन कम हो जाता है।
				शीत लहर ओलावृष्टि				 फसलें झुलस जाती है। आलू में पाला की समस्या हो जाती है। सरसों में माहो का प्रकोप बढ़ जाता है। ओलावृष्टि के कारण गेहूँ की फसल बर्बाद होती है।
2	पशुपालन का प्रभाव (गाय, भैस, बकरी)	150		जलजमाव				 आम के फलों का भी काफी नुकसान होता है। चारे की गुणवत्ता खराब हो जाती है। फसल डूब जाने से सूखा चारा नहीं मिलता हैं


	I	1			
					 पशुओं में खुरपका बीमारी हो जाती है।
			सूखा		 पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।
					 गाय—भैंसों को नहलाने के लिए पानी नहीं मिलता।
					 पशुओं का चारा कम हो जाता है।
					 ज्यादा धूप के कारण पशुओं में भयंकर बीमारी का हो जाती हैं।
					 मुर्गीपालन में चूजे मर जाते है।
			शीतलहर		 पशुओं में बीमारियां हो जाती है।
					 पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाती है।
					 बकरियों में पोकनी की बीमारी होने से बकरियों की
					मृत्यु हो जाती है।
					 मुर्गी पालन में चूजों की मृत्यु हो जाती है।
3	मजदूरी	164	जलजमाव		 आवागमन न होने से स्थानीय रोजगार बाधित होता है।
					 कृषि कार्य में मजदूरी बाधित होती है।
					 मजदूरी कार्य की जानकारी नहीं मिल पाती है
			सूखा		 कृषि आधारित मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है।
					 खान—पान पर प्रभाव पड़ता है।
					 आजीविका प्रभावित होती है।
					 आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है।
					• पलायन बढ़ जाता है।
			शीतलहर		• काम नहीं मिल पाता है।

					स्वास्थ्य खराब रहता है।खर्चा बढ़ जाता है।
4	निजी व्यवसाय	21	जलजमाव		 दुकान का सामान लाने में असुविधा होती है। अवागमन न होने से सामान महंगा हो जाता है। कच्चा माल कम बिकने से खराब हो जाता है। जलजमाव के कारण माल के रखरखाव में समस्या होती है।
			शीतलहर		 आवागमन कम होने से व्यवसाय मंद पड़ जाता है।

संसाधन मानचित्र :



संलग्नक-4



संसाधन चार्ट

टीम का नाम श्री नसीम अंसारी श्री संतोष चतुर्वेदी

श्री सोनिया गुप्ता

The End

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र.	सुझा
सं.	गति

सुझायी गई गतिविधियां विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है) संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

•				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है) चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना। चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।	वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि) ⁸⁹ = ₹ 70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं) ट्री गार्ड (धातु) ⁹⁰ = ₹ 1,200 प्रति इकाई वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹ 1.5 लाख/ हेक्टेयर	सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO ₂ e)
2	आरोग्य वन	 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है
3	कृषि वानिकी	(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि- वानिकी गतिविधियां चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं) चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना	कृषि वानिकी की लागत ⁹¹ = ₹ 40,000/हेक्टेयर⁹²	

⁸⁹ वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

⁹⁰ लागत बाज़ार भाव के अनुसार

⁹¹ कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

⁹² https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
सत	ात कृषि			
1	सूक्ष्म सिंचाई- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना	₹ 1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50% चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100% चरण 3: मेड़ों का रखरखाव - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।	1 मी. मेड़बंदी के लिए ⁹³ = ₹ 150	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	चरण 1: 5-10 तालाब चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव 1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³ ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से	1 कृषि तालाब का निर्माण ⁹⁴ = ₹ 90,000	

की गई बातचीत के आधार पर)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती अपनाना	चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना चरण 3: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना	a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹ 60,000 b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹ 33,000 c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500 d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500 e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹ 1,00,000 कुल लागत ⁹⁵ : क्षेत्र (हेक्टेयर) * e->2.471 * 1,00,000 = ₹ 2,47,100	

जल निकायों का प्रबंधन एवं कायाकल्प

वर्षा जल संचयन
(आरडब्ल्यूएच)
संरचनाएं को
प्रोत्साहन देना

चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्ढों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)

चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना 10 m^3 क्षमता वाली $1 \text{ and } \overline{\text{m}}$ जल संचयन संरचना की लागत 96 =

₹ 35,000

1 पुनर्भरण गड्ढे की लागत =

₹ 35,000

⁹⁵ यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश 96 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ) चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव	अनुमानित लागत ⁹⁷ : 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹ 7 लाख 2. 1 रिटेंशन तालाब (300 मीटर³ क्षमता) का निर्माण = : ₹ 7 लाख 3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹ 1,200 प्रति यूनिट 4. रखरखाव की लागत: a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹ 3,75,000 b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹ 50,000 c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹ 20 प्रति यूनिट	
3	जल निकासी और नालों के बुनियादी ढांचो का सुदृढ़ीकरण	चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण) चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	
सत	त और उन्	व्रत गतिशीलता		
1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत ⁹⁸ : ₹ 50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्शा	1 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत: ~₹ 3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 और 3: निरंतर जागरूकता	 1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹ 6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹ 5 से 10 लाख 	

⁹⁷ एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत 98 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

क्र.	सुझायी गई
सं.	गतिविधिय

विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)

संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला

अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना	चरण 1: a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के तहत 100% घरों को शामिल करना b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था c. कूड़ादानों की स्थापना d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना	कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें; बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58% गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42% आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या ⁹⁹ = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा) कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है	
	चरण 2: a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव e. साझेदारी को बढ़ाना चरण 3: a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्ढों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/ पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है ¹⁰¹ = xxx किग्रा/ दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष _ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	
		चरण 2 और 3: a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्ढों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹⁰² : 1. कम्पोस्ट गड्ढों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्ढे = ₹ 4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹ 35,00,000 ¹⁰³	
3	एकल-उपयोग- प्लास्टिक पर प्रतिबंध	चरण 1: a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	

¹⁰¹ https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20 microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%
102 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत
103 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		चरण 3: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

蒳.	
सं.	

सुझायी गई गतिविधियां विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)

संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती, और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

सोलर रूफटॉप
 स्थापना

चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)

अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन
(किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट)
* 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) *
0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन
के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)
स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से
कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल
1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन
प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000
प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की
इकाइयों की संख्या = उत्पादित

उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* 0.82/ 1000 = ____ टन CO<

चरण 2 और 3:

परिवार

अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता

मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर

चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%

चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100% प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000¹0⁴ प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित

बिजली/365

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
2	कृषि फोटोवोल्टिक की स्थापना	चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25% चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)	प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति किलोवाट लागत = ₹ 1 लाख¹05 प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365	
3	सौर पंप	चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना	स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365 प्रति पंप लागत = ₹ 3 से 5 लाख¹06	डीज़ल की खपत को कम करना =390 लीटर/प्रति/वर्ष प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390 उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO ₂ e)

¹⁰⁵ स्थापना लागता बाज़ार दर अनुसार 106 लागत बाज़ार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग	चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता	1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹ 50,000 2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹ 45,000 1 उन्नत चूल्हे की लागत = ₹ 3,000 ¹⁰⁷	
5	ऊर्जा कुशल फिक्सचर (ईई)	चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।	1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹ 70 1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹ 220 1 ईई पंखे की लागत = ₹ 1,110 ¹⁰⁸	
6	सौर स्ट्रीट लाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/ पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	 1 हाई-मास्ट की लागत = ₹ 50,000 1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹ 10,000¹⁰⁹ 	

¹⁰⁷ बाज़ार दर के अनुसार लागत 108 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf) 109 बाज़ार दर के अनुसार लागत

क्र. सं. सुझायी गई गतिविधियां विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)

संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सौर ऊर्जा
चालित कोल्ड
स्टोरेज का
निर्माण एवं
किराये पर देना

कोल्ड स्टोरेज की स्थापना

क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित

लागत¹¹⁰: **₹ 8-15 लाख प्रति यूनिट**

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं,मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाज़ार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धितयों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुन: इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a: अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुन: इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a: नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरिक्षत, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुन: इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुन: इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

तक्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सिहत खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करनालक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िकस रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है । इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लोंगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरेसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण	
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।	
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।	
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।	
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।	
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।	
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।	
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियां, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।	
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।	
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।	
औषधीय गुणो	औषधीय गुणों वाले पेड़			
विथानियासोम्निफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।	
बकोपा मोनिएरी	प्लांटागिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।	
एंड्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैंथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।	
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।	

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़			
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्परैगसऐडसेंडेंसरॉक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
अन्य पेड़			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।









